प्रतिवेदन

२७ फरवरी १९७३ को मौलाना आजाद कालेज आफ टेक्नालाजी, भोपाल में हुई घटना के संबंध में

द्वारा

श्री डी. बी. सूर्यवंशी

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल

(शासन के संबंधित संकल्प सहित)

T40bY:4582:5.28152.N7t
L5

40bY:4582:5.28152.N7t
L5
165478

भोपाल
शासन केन्द्रीय मुद्रणालय
१९७५

मध्यप्रदेश शासन

गृह विभाग (क्ष-अनुविभाग)

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक ६ मार्च १९७५—फाल्गुन १५, १८९६.

फा. क्र. ८-४२-७४-क्ष-१.—राज्य शासन द्वारा पारित निम्नलिखित संकल्प सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

म. म. खार,
सचिव,
म. प्र. शासन, गृह विभाग (क्ष-अनुविभाग)

संकल्प

फा. क्र. ८-४२-७४-क्ष-१, भोपाल, दिनांक ६ मार्च १९७५.

२७ फरवरी, १९७३ को मौलाना आजाद कालेज आफ टेक्नालाजी, भोपाल, के पांचवें वर्ष के विद्यार्थी श्री एम. के. सोंधिया की अचानक मृत्यु के संदर्भ में हुए उपद्रवों से संबद्ध निम्नलिखित बातों की न्यायिक जांच शासन की ५ मार्च, १९७३ की अधिसूचना (क्रमांक ८-५२-७३-क्ष-१) द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल, श्री डी. बी. सूर्यवंशी को सौंपी गई:—

(एक) मौलाना आजाद कालेज आफ टेक्नालाजी, भोपाल, के पांचवें वर्ष के विद्यार्थी श्री एम. के. सोंधिया की २७ फरवरी, १९७३, को हुई मृत्यु का क्या कारण था ?

(दो) क्या प्रश्नगत मृत्यु पूर्णतया या अंशतया उपेक्षा के कारण हुई और यदि ऐसा हो, तो ऐसी उपेक्षा के लिये कौन उत्तरदायी था ?

(तीन) क्या पुलिस ने २७ फरवरी, १९७३, को रात में मौलाना आज़ाद कालेज आफ टेक्नालाजी के विद्यार्थियों को १२५० क्वार्टर्स, तात्या टोपे नगर, भोपाल, स्थित शासकीय चिकित्सालय परिसरों में से तितर-बितर करने हेतु बल प्रयोग किया ?

(चार) क्या ऐसे बल प्रयोग करने हेतु किसी मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित किया गया था और यदि ऐसा हो, तो क्या ऐसे आदेश का जारी किया जाना मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों में न्यायोचित था.

(पांच) क्या पुलिस द्वारा किया गया बल प्रयोग अत्यधिक था ?

जांच के पूरे अभिलेखों के साथ ३-१०-१९७४ को आयोग ने अपना प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत किया.

२. आयोग के विचारार्थ बातों के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री डी. बी. सूर्यवंशी के निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है:—

(एक) विद्यार्थी श्री एम. के. सोंधिया की मृत्यु का कारण पेनिसिलिन अन्तःक्षेपन की घातक प्रतिक्रिया है.

(दो) यद्यपि कोई एक व्यक्ति पूर्णतया या अंशतया इस मृत्यु क लिये जिम्मेदार नहीं पाया गया फिर भी डाक्टर यशवंत कपूर की इस हद तक लापरवाही और कर्त्तव्य की अवहेलना पाई गई कि वे मृतक के शरीर पर पेनिसिलिन की क्या प्रतिक्रिया हुई यह स्वयं देखने के लिए अस्पताल में नहीं रुके और जल्दी से वहां से चले गये.

(तीन) यह सिद्ध पाया गया कि २७ फरवरी, १६७३ की रात को १२५० क्वार्टर्स, तात्याटोपे नगर, भोपाल, स्थित शासकीय चिकित्सालय परिसरों में विद्यार्थियों को तितर-बितर करने हेतु पुलिस को बल प्रयोग (लाठी चार्ज) करना पड़ा.

(चार) पुलिस को बल प्रयोग करने के लिये किसी मजिस्ट्रेट ने विशेष या स्पष्ट आदेश नहीं दिये थे लेकिन घटना स्थल पर उपस्थित अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री त्रिवेदी ने मौके की विस्फोटक स्थिति को देखते हुए जान-माल की रक्षा के लिये भीड़ को तितर-बितर करने को कहा था. अतः पुलिस द्वारा किया गया बल प्रयोग (लाठी चार्ज) न्यायोचित तथा औचित्यपूर्ण था.

(पांच) भीड़ को तितर-बितर करने के लिये पुलिस द्वारा किया गया बल प्रयोग न तो अत्यधिक था और न अनावश्यक.

राज्य शासन ने उपर्युक्त विचारार्थ बातों के सम्बन्ध में आयोग के निर्णयों और निष्कर्षों पर विचार किया है और वह (एक), (दो), (तीन), (चार) और (पांच) पर आयोग के सब निष्कर्षों को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है.

३. राज्य शासन, तदनुसार, संकल्प करता है कि अयोग को सौंपे विचारार्थ बातों (एक), (दो), (तीन), (चार) और (पांच) पर उसके निष्कर्ष उसके द्वारा दर्शाये गये कारणों के आधार पर स्वीकार किये जाएं.

४. भोपाल में २७ फरवरी, १६७३ को हुई स्वर्गीय श्री सोंधिया के मृत्यु के सम्बन्ध में उनके संबंधियों के प्रति शासन हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता है.

५. अन्त में शासन जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री डी. बी. सूर्यवंशी को देश की सर्वोत्तम न्यायिक परम्पराओं के अनुसार जिस लगन और सावधानी से जांच का कार्य सम्पन्न करने के लिये निरन्तर परिश्रम करना पड़ा है उसके लिये धन्यवाद देना चाहता है.

६. आदेश दिया जाता है—

(क) कि, संकल्प की प्रतियां सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई के लिये भेजी जाए, और

(ख) कि, यह संकल्प प्रकाशन विभाग द्वारा समाचार पत्रों को जारी किया जाए और साथ ही उसकी एक प्रति "मध्यप्रदेश राजपत्र" असाधारण में प्रकाशित की जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

म. म. खार,

सचिव,

म. प्र. शासन, गृह विभाग (क्ष-अनुविभाग).

कार्यालय, एकं एक सदस्यी परिपृच्छा आयोग, भोपाल

(श्री डी. बी. सूर्यवंशी द्वारा अध्यासीन)

सेवा में,

महामहिम राज्यपाल महोदय,
मध्यप्रदेश शासन,
भोपाल.

विषय :--परिपृच्छा आयोग अधिनियम (Commissions of Inquiry Act) के अन्तर्गत गठित आयोग का प्रतिवेदन.

सन्दर्भ :--मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित गृह विभाग की असाधारण विज्ञप्ति क्रमांक 8-52-73-क्ष-(1), दिनांकित 5-3-73.

प्रतिवेदन

(1) पुत्र शोक से पीड़ित पिता एवं सहपाठी विद्यार्थी वर्ग के इस आरोप की पृष्ठभूमि में कि महाविद्यालय के चिकित्सक की असावधानी ही रोगी विद्यार्थी की मृत्यु का कारण बनी और विधि एवं शान्ती व्यवस्था की रक्षक आरक्षी दल (police force) ने ही अकारण विद्यार्थियों पर अत्याधिक बल प्रयोग कर विधिभंजक (Lawbreaker) के रूप में आचरण किया इस एक सदस्यी परिपृच्छा आयोग का गठन किया गया है. प्रस्तुत प्रतिवेदन (Report) "मौलाना आजाद प्राद्यौगिक महाविद्यालय भोपाल" (Moulana Azad College of Technology, Bhopal) के उक्त विद्यार्थी श्री महेश कुमार सोंधिया की मृत्यु के कारणों, चिकित्सक डाक्टर श्री यशवन्तसिंह कपूर की तथाकथित असावधानी एवं उक्त महाविद्यालय के विद्यार्थियों के विरुद्ध आरक्षी दल द्वारा किये गये तथाकथित बल प्रयोग के औचित्य के निष्कर्षो के सम्बन्ध में है.

(2) मध्यप्रदेश शासन ने मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित उपरोक्त संदर्भित असाधारण विज्ञप्ति दिनांकित 5 मार्च सन् 73 द्वारा परिपृच्छा आयोग अधिनियम, 1952 (Commission of Inquiry Act) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत सार्वजनिक महत्व के निम्नलिखित तथ्यों की जांच हेतु हमारे द्वारा संवाहित इस एक सदस्यी आयोग का गठन किया है :--

"(एक) मौलाना आजाद कालेज आफ टेक्नालाजी, भोपाल के पांचवे वर्ष के विद्यार्थी श्री एम. के. सोंधिया की 27 फरवरी 1973 को हुई मृत्यु का क्या कारण था ?

(दो) क्या प्रश्नगत मृत्यु पूर्णतया या अंशतया उपेक्षा द्वारा कारित हुई और यदि ऐसा हो, तो ऐसी उपेक्षा के लिये कौन उत्तरदायी था ?

(तीन) क्या पुलिस ने 27 फरवरी, 1973 को रात में मौलाना आजाद कालेज आफ टेक्नालाजी के विद्यार्थियों को 1250 क्वार्टर्स, तात्या टोपे नगर, भोपाल स्थित शासकीय चिकित्सालय परिसरों में से तितर बितर करने हेतु बल प्रयोग किया?

(चार) क्या ऐसे बल प्रयोग का किया जाना किसी मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित किया गया था और यदि ऐसा हो, तो क्या ऐसे आदेश का जारी किया जाना मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों में न्यायोचित था ?

(पांच) क्या पुलिस द्वारा किया गया बल प्रयोग अत्याधिक था ?"

(3) विचारणीय परिपृच्छा (Inquiry) की सूचना जनसाधारण को मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांकित 28-3-73 एवं स्थानीय समाचार पत्र "हितवाद" दिनांकित 4-4-73 तथा "नव भारत" दिनांकित 5-4-73 के द्वारा दी गई और परिपृच्छा के विचाराधीन तथ्यों से परिचित व्यक्तियों को घटना सम्बन्धी तथ्य विवरण (Statement of facts) अपने शपथ पत्रों सहित प्रस्तुत करने हेतु आव्हान किया गया. परिपृच्छा में अभिरुचित अथवा आयोग के प्रतिवेदन से सम्भावित रूप से प्रभावित होने वाले पक्षकारों को घटना के सम्बन्ध में तथ्य विवरण देने एवं परिपृच्छा कार्यवाही में भाग लेने हेतु व्यक्तिगत रूप से सूचित किये जाने का आदेश भी हमारे द्वारा पारित किया गया जिसके पालन में महानिरीक्षक आरक्षी (Inspector General Police), संचालक औषधि एवं स्वास्थ्य सेवा (Director of Medical and Health Services), जिला दंडाधिकारी एवं जिलाध्यक्ष भोपाल (D.M. & Collector, Bhopal), प्राचार्य एवं सचिव मौलाना आजाद प्राद्यौगिक महाविद्यालय, महाविद्यालय विद्यार्थी परिषद् (Students Council) के अध्यक्ष एवं मुख्य सचिव, जनपद शल्य चिकित्सक (Civil Surgeon) 1250 तात्या टोपे नगर चिकित्सालय तथा आरक्षी अधीक्षक (Superintendent of Police) भोपाल को परिपृच्छा की सूचना दी गई. जनसाधारण हेतु प्रचलित सूचना के आव्हान में मृतक विद्यार्थी के गढ़ा कोटा (सागर) निवासी पिता श्री रतनचन्द सोंधिया का तथ्य विवरण एवं शपथपत्र और मृतक विद्यार्थी के विदिशा निवासी बहनोई श्री जिनेन्द्रकुमार जैन एवं उनके विदिशा निवासी मित्र श्री बालकृष्ण सक्सेना के तथ्य विवरण एवं शपथपत्र आयोग को प्राप्त हुए तथा महाविद्यालय क्षेत्र में कार्यरत औषधालय के पट्टी बन्धक (Dresser) श्री आविदअली का भी तथ्य विवरण एवं शपथपत्र प्राप्त हुआ. उक्त विविध व्यक्तियों के अतिरिक्त आयोग के समक्ष महाविद्यालय की विद्यार्थी परिषद्, महाविद्यालय के प्राचार्य, घटना से संबंधित महाविद्यालय औषधालय में कार्यरत डाक्टर श्री यशवन्तसिंह कपूर, एवं शासन तथा आरक्षीदल की ओर से अतिरिक्त जिला दन्डाधिकारी (प्रशासनिक) ने एक विधिवत् पक्षकार के रूप में कार्यवाही में भाग लिया तथा अपने अपने तथ्य विवरण एवं शपथपत्र प्रस्तुत किये तथा साक्ष्य स्टेज पर साक्षीगण के कथन अपने अपने द्वारा प्रतिपादित तथ्य विवरण की पुष्टि में कराये.

(4) महाविद्यालय विद्यार्थी परिषद् (Students Council) के अध्यक्ष की ओर से एक तथ्य विवरण आयोग के समक्ष दिनांक 14-6-73 को प्रस्तुत किया गया और दूसरा संशोधित तथ्य विवरण आयोग की अनुमति से दिनांक 31-7-73 को प्रस्तुत किया गया तथा श्री विनयकुमार, श्री वैलचुपइया एवं श्री दीपक वामन जोशी के शपथ पत्र दिनांक 1-8-73 को तथ्य विवरण की पुष्टि में प्रस्तुत किये. साक्ष्य स्टेज पर विद्यार्थी परिषद् की ओर से साक्षीगण श्री रमेशकुमार सिंघई (साक्षी क्रमांक 4), श्री विनोदकुमार (साक्षी क्रमांक 5), श्री पी. के. अग्रवाल (साक्षी क्रमांक 16), श्री समीउल्ला (साक्षी क्रमांक 8), श्री एन. सी. जैन (साक्षी क्रमांक 9), श्री राजीव सक्सेना (साक्षी क्रमांक 10) एवं श्री दीपक वामन जोशी (साक्षी क्रमांक 18) के कथन कराये गये.

विद्यार्थी परिषद् द्वारा प्रस्तुत तथ्य विवरण रहा है कि—घटना दिनांक 27-2-73 को परीक्षा समाप्ती के पश्चात् महाविद्यालय का एक प्रतिभावान एवं प्रसन्नचित नवयुवक श्री महेश कुमार सोंधिया सर्दी जुखाम की साधारण बीमारी से पीड़ित होकर अपने मित्रों के साथ आवश्यक चिकित्सा हेतु महाविद्यालय औषधालय के डाक्टर श्री कपूर के पास गया जिन्होंने उक्त विद्यार्थी को "Strepto Penicillin" के अन्तःक्षेपण (Injection) हेतु औषधि पत्र (Prescription) दिया किन्तु अन्तःक्षेपण के पूर्व उक्त औषधि की प्रतिक्रिया (Reaction) विदित करने हेतु कम्पाउन्डर को कोई निर्देश नहीं दिया तथा स्वयं अन्तःक्षेपण लगने के पूर्व ही औषधालय से चले गये. डाक्टर द्वारा निर्देशित उक्त औषधिपत्र पर कम्पाउन्डर ने बिना प्रतिक्रिया सम्बन्धी परीक्षण किये उक्त अन्तःक्षेपण श्री महेश सोंधिया को लगाया जिसके फलस्वरूप उसके शरीर में तत्काल "पेन्सलीन" की प्रतिक्रिया हुई किन्तु कम्पाउन्डर ने भयंकर

परिणामों से अवगत होने की स्थिति में होते हुए भी उक्त अन्तःक्षेपण के प्रतिक्रिया निरोधक (Antidote) अन्तःक्षेपण का प्रयोग नहीं किया वरन विद्यार्थी को उसी स्थिति में छोड़कर डाक्टर श्री कपूर को बुलाने चला गया. कुछ देर पश्चात् लगभग 7 बजे डाक्टर श्री कपूर वहां आये किन्तु महेश सोंधिया की बिगड़ती हुई दशा को देखकर भी उन्होंने उक्त स्थिति पर नियंत्रण करने हेतु तुरन्त कोई प्रभावकारी प्रयास नहीं किया वरन व्यर्थ ही समय नष्ट किया और मृतप्राय: श्री महेश सोंधिया को तात्या टोपे नगर 1250 चिकित्सालय ले गये जहां पहुंचते ही उक्त प्रतिभावान क्षात्र को मृत घोषित कर दिया गया. दुखद घटना की सूचना पाकर छात्रवर्ग जिज्ञासावश तात्या टोपे नगर 1250 चिकित्सालय पहुंचे और उन्होंने शान्तीपूर्वक घटना का पूर्ण विवरण डाक्टर कपूर से जानना चाहा किन्तु घटना से सम्बन्धित तथ्य उन्हें नहीं समझाये गये वरन आरक्षी दल ने अकारण ही उन पर लाठी प्रहार किया जो न केवल अत्याधिक था वरन स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पूर्णतया अनावश्यक भी था.

छात्र वर्ग की व्यथा रही है कि डाक्टर कपूर ने सक्षम चिकित्सक होते हुए भी न तो पेन्सलीन के अन्तःक्षेपण हेतु औषध निर्देश देते समय तत्संबंध में अन्य आवश्यक निर्देश ही कम्पाउन्डर को दिये और न ही अन्तःक्षेपण के समय स्वयं औषधालय पर उपस्थित रहे वरन अन्तःक्षेपण की प्रतिक्रिया होने सम्बन्धी सूचना प्राप्ती के पश्चात् भी स्थल पर आकर कोई प्रभावकारी प्रयास विद्यार्थी श्री महेश सोंधिया के जीवन को बचाने का नहीं किया और व्यर्थ ही समय नष्ट किया जबकि उक्त विद्यार्थी अपने जीवन की अन्तिम श्वासें ले रहा था. छात्र वर्ग का आरोप है कि डाक्टर कपूर की घोर उपेक्षा एवं भयंकर असावधानी के कारण ही श्री महेश सोंधिया की मृत्यु हुई और डाक्टर का उक्त कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 (अ) के अन्तर्गत दण्डनीय एक अपराधिक असावधानी है. आरक्षीदल के विरुद्ध विद्यार्थी वर्ग का आरोप है कि उन्होंने बर्बरतापूर्वक अकारण ही अपने सहपाठी की मृत्यु से दुखी विद्यार्थी वर्ग पर लाठी प्रहार किया जिस हेतु उनके द्वारा न तो किसी सक्षम दण्डाधिकारी का आदेश ही प्राप्त किया गया था और न ही लाठी प्रहार स्थल के वातावरण को पृष्ठभूमि में आवश्यक एवं उचित ही था. छात्रवर्ग द्वारा प्रतिपादित है कि वे केवल अपने सहपाठी को मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई है यह जानने हेतु जिज्ञासावश एकत्रित हुए थे और यदि तत्सम्बन्ध में छात्रों की जिज्ञासा का शान्तीपूर्वक समाधान कर दिया गया होता तो उक्त अनावश्यक एवं अत्याधिक बल प्रयोग की कोई आवश्यकता ही नहीं थी.

(5) महाविद्यालय के प्राचार्य श्री सोलंकी ने दिनांक 30-7-73 को आयोग के समक्ष अपना तथ्य विवरण प्रस्तुत किया है तथा दिनांक 31-7-73 को तथ्य विवरण की पुष्टि में स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया है. साक्ष्य स्टेज पर अपने तथ्य विवरण की पुष्टि में प्राचार्य श्री शान्तीलाल सोलंकी (साक्षी क्रमांक 12) ने न केवल स्वयं का कथन कराया है वरन सहायक प्राध्यापक श्री एस. के. बोस (साक्षी क्रमांक 11) प्राध्यापक श्री जे. बी. नागराजन (साक्षी क्रमांक 13), अध्यापक श्री जी. विश्वनाथन (साक्षी क्रमांक 14), व्याख्याता डाक्टर श्री रमेशचन्द्र सक्सेना (साक्षी क्रमांक 16) एवं प्राध्यापक श्री आर. श्रीवरन (साक्षी क्रमांक 17) के कथन भी अंकित कराये हैं.

महाविद्यालय के प्राचार्य श्री सोलंकी ने अपने तथ्य विवरण में प्रतिपादित किया है कि उन्हें पेन्सलीन के अन्तःक्षेपण की प्रतिक्रिया की सूचना शाम लगभग 7 बजे नगर में प्राप्त हुई अतः वैसे ही वे अपने निवास स्थान पर आये और उन्हें सवा 7 बजे तात्या टोपे नगर चिकित्सालय से उक्त विद्यार्थी श्री महेश कुमार सोंधिया की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई. प्राचार्य का पक्षनिवेदन रहा है कि वह प्राध्यापक श्री वोस एवं श्री केशवानी तथा अन्य एक दो शिक्षकों के साथ तत्काल तात्या टोपे नगर चिकित्सालय में पहुंचे जहां डाक्टर श्री कपूर उक्त चिकित्सालय के डाक्टर के साथ परीक्षण कक्ष में थे. डाक्टर श्री कपूर से उन्होंने घटना के सम्बन्ध में वार्तालाप किया और तभी स्थल पर 12-15 विद्यार्थियों का एक समूह एकत्रित हो गया जिसे डाक्टर कपूर ने विद्यार्थी श्री महेश कुमार सोंधिया की मृत्यु के कारणों के सम्बन्ध में सन्तुष्ट करने का असफल प्रयास किया और जब विद्यार्थी वर्ग डाक्टर कपूर के स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट नहीं हुए तो डाक्टर कपूर वापिस परीक्षण कक्ष में लौट आये और उन्होंने यह सूचित किया कि विद्यार्थी वर्ग महेश कुमार सोंधिया की मृत्यु का दोषी उन्हें ही दर्शाते हैं. प्राचार्य का पक्षनिवेदन रहा है कि तभी तात्या टोपे नगर आरक्षीकेन्द्र के उपनिरीक्षक श्री भीमसिंह भी वहां आ गये और फिर उसने तात्या टोपे नगर चिकित्सालय के जनपद शल्य चिकित्सक

(Civil Surgeon) के निवास पर आकर उनसे घटना का विवरण चाहा तो उन्होंने उसे सूचित किया कि विद्यार्थी जब तात्या टोपे नगर लाया गया तब तो वह मृतप्राय: ही था: प्राचार्य का पक्षनिवेदन रहा है कि चिकित्सालय प्रांगण में विद्यार्थियों की भीड़ शनैः शनैः बढ़ती जा रही थी और तभी रात्री 8-30 के लगभग नगर आरक्षी अधीक्षक श्री पंडित वहां आ गये और लगभग 9 बजे एक पुलिस वाहन वहां आई जिसे देख विद्यार्थी चिल्लाये अत: नगर अधीक्षक ने पुलिस वाहन को वहां से दूर चले जाने हेतु निर्देशित किया. प्राचार्य का पक्षनिवेदन रहा है कि एक ओर तो वह मृतक के सम्बन्धियों को घटना की सूचना देने हेतु वाहन आदि की व्यवस्था में व्यस्त थे वहीं दूसरी ओर चिकित्सालय प्रांगण में विद्यार्थी समूह शनैः शनैः अधिक संख्या में एकत्रित होता जा रहा था और अध्यापक वर्ग के श्री मित्तल, श्री अग्रवाल, श्री घरन, श्री विश्वनाथ, श्री नागराज आदि विद्यार्थियों को तथ्यों से अवगत कराने की चेष्टा कर रहे थे तभी रात्री 10-10½ बजे के बीच पुलिस के कुछ वाहन चिकित्सालय प्रांगण के मुख्य द्वार को पारकर अन्दर आ गये और आरक्षीदल ने लाठी प्रहार आरम्भ कर दिया जिसके फलस्वरूप न केवल विद्यार्थियों को चोटें आई वरन् उसे तथा अन्य व्यक्तियों को भी जो विद्यार्थियों को तथ्यों से अवगत कराकर उनकी जिज्ञासा शान्त करने का प्रयत्न करते थे चोटें आई तथा ऐसे आहत विद्यार्थी श्री कमलेश श्रीवास्तव एवं श्री वानखेड़े को उक्त स्थिति से अवगत होने पर ही अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (प्रशासनिक) श्री त्रिवेदी के निर्देश पर पुलिस निरोध से मुक्त किया गया. लाठी प्रहार के फलस्वरूप विद्यार्थी वहां से भागे और आहत विद्यार्थीगण श्री जैन, श्री तोमर श्री लखवीरसिंह; श्री सेक्सेना एवं श्री हिमानसु की आवश्यक परिचर्या कराई गई.

(6) महाविद्यालय के औषधालय (Dispensary) में कार्यरत चिकित्सक डाक्टर श्री यशवन्त सिंह कपूर ने आयोग के समक्ष दिनांक 30-7-73 को तथ्य विवरण और दिनांक 31-7-73 को तथ्य विवरण के समर्थन में अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया है. साक्ष्य स्टेज पर डाक्टर श्री यशवन्तसिंह कपूर (साक्षी क्रमांक 19) ने न केवल स्वयं का कथन कराया है वरन साक्षीगण चौकीदार श्री अमरसिंह (साक्षी क्रमांक 15), कम्पाउन्डर श्री रामप्रसाद भार्गव (साक्षी क्रमांक 20), लिपिक श्री माधव खरे (साक्षी क्रमाक 21) डाक्टर श्री बी. के. दास (साक्षी क्रमांक 22), डाक्टर श्री वी दास (साक्षी क्रमांक 25) एवं डाक्टर श्री व्यास (साक्षी क्रमांक 26) के कथन भी अपने द्वारा प्रतिपादित तथ्य विवरण की पुष्टि में अंकित कराये हैं.

डाक्टर श्री कपूर द्वारा प्रतिपादित तथ्य विवरण रहा है कि महाविद्यालय के औषधालय में कार्यरत डाक्टर की ड्यूटी शाम 4 बजकर 15 मिनिट से 6-45 तक रहती है जब कि औषधि वितरण एवं अन्तःक्षेपण की कार्यवाही शाम 7 बजे तक होती रहती है. औषधालय में दो प्रशिक्षित कम्पाउन्डर हैं और अन्तःक्षेपण का कार्यभार कम्पाउन्डर श्री फराहम का है. डाक्टर श्री कपूर का पक्षनिवेदन रहा है कि घटना दिनांक 27-2-73 को विद्यार्थी श्री सोंधिया शाम लगभग 6-45 पर औषधालय आया और परीक्षण उपरान्त उसे (Coryza) का रोग पाया गया अत: उसने इस तथ्य की पुष्टि करने के पश्चात् ही कि उक्त रोगी पेन्सीलीन लेने का अभ्यस्त है उसे अन्य औषधियां के अतिरिक्त "Strepto Penicillin" के अन्तःक्षेपण हेतु औषध निर्देश (Prescription) दिया और अपने कार्यकाल की समाप्ति पर लगभग 6-50 पर वह स्वय साईकल से औषधालय से केवल ¾ किलोमीटर स्थित अपने निवास स्थान की ओर अग्रसर हुआ. डाक्टर का पक्षनिवेदन है कि जैसे ही वह अपने निवासार्थ भवन तक पहुचा डाक्टर सक्सेना जो उसे मार्ग में औषधालय जाते हुए मिले थे स्कूटर पर वहा आय और उन्होंने उसे सूचित किया कि विद्यार्थी को कोई प्रतिक्रिया हुई है अत: वह तत्काल ही उनके स्कूटर पर ही औषधालय आया जहां उसने विद्यार्थी श्री महेश कुमार सोंधिया को बेसुध पाया. परिप्रश्न पर कम्पाउन्डर ने सूचित किया कि "Strepto Penicillin" अन्तःक्षेपण हेतु परीक्षा करते समय ही उक्त विद्यार्थी को प्रतिक्रिया हुई थी तथा श्री फराहम ने यह भी सूचित किया कि उक्त विद्यार्थी को प्रतिक्रिया निरोधक अन्त क्षेपण लगाया जा चुका है. डाक्टर का पक्षनिवेदन रहा है कि उसने तत्काल विद्यार्थी का परीक्षण किया और पाया कि उसकी श्वांस क्रियां लगभग बन्द हो गई है और हृदयगति बहुत ही धीमी पड चुकी है. डाक्टर का कथन है कि उसने "Coramin" अथवा "Decadron" अन्तःक्षेपण जो भी उपलब्ध हो तत्काल तैयार करने हेतु कम्पाउन्डर को निर्देशित किया और स्वयं विद्यार्थी के मुंह पर अपने मुह द्वारा कृत्रिम श्वास की क्रिया की तथा उपलब्ध "Decadron" का अन्तःक्षेपण तत्काल रोगी को दिया एव कृत्रिम श्वास की क्रिया चालू रखी. विद्यार्थी श्री सक्सेना श्री सी. वैलू, एवं श्री खोतरू वहां उपस्थित थे जिन्हें उसने तत्काल वाहन की व्यवस्था करने हेतु निर्देशित

किया और जैसे ही वाहन उपलब्ध हुआ वह श्री एम. खरे की सहायता से श्री सोंधिया को वाहन में रखकर तात्या टोपे नगर 1250 चिकित्सालय (Hospital) लाया जहां डाक्टर श्री दास ने सोंधिया का परीक्षण कर एक अन्तःक्षेपण दिया एवं जनपद शल्य चिकित्सक डाक्टर श्री राजन को बुलाया गया जिन्होंने तत्काल आकर न केवल कृत्रिम श्वास की क्रिया की वरन् सोंधिया के हृदय में सीधा एक "Coramine" का अन्तःक्षेपण लगाया.

डाक्टर का पक्षनिवेदन रहा है कि इस प्रकार 20-30 मिनिट डाक्टरों द्वारा निरन्तर परिश्रम किये जाने के उपरान्त भी सोंधिया का जीवन नहीं बचाया जा सका और उसने इस दुखद घटना की सूचना बाहर एकत्रित हो गये विद्यार्थियों तथा प्राचार्य को दी किन्तु शनैः शनैः वहां विद्यार्थियों की भीड़ एकत्रित हो गई जो चिल्लाते हुए हिंसा पर उतारू हो गये अतः पुलिस उपनिरीक्षक श्री भीमसिंह ने उसे चिकित्सालय के चिकित्सक कक्ष में बिठा दिया. डाक्टर का कथन रहा है कि वह लगभग 2 घन्टे उक्त कक्ष में बैठा रहा जबकि विद्यार्थी बाहर चिल्लाते रहे तथा उसे एवं उसके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी देते रहे. विद्यार्थी हिंसा पर उतारू थे अतः उसने न केवल फोन पर अपनी पत्नी को अन्यत्र जाकर स्वयं की सुरक्षा हेतु निर्देशित किया वरन श्री वी. एल. अग्रवाल को भी फोन पर घटना से सूचित कर सहायता हेतु आग्रह किया. स्वास्थ्य संचालक डा. श्री नागो को भी फोन पर घटना की सूचना दी गई और हिंसात्मक विद्यार्थियों की क्रुद्ध भीड़ से स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के जीवन की रक्षा करने हेतु आग्रह किया. डाक्टर का पक्षनिवेदन रहा है कि रात्रि लगभग 9, 10 के बीच विद्यार्थियों की भीड़ चिकित्सालय में घुस आई और उसने चिकित्सक कक्ष का दरवाजा तोडकर उसे बाहर निकाला तथा उसके साथ मारपीट की एवं जान से मारने की चिल्लाहट करते हुए उसे कमरे से बाहर खींचकर ले गये. डाक्टर का कथन है कि पुलिस उप-निरीक्षक श्री भीमसिंह ने सामयिक हस्तक्षेप कर उसके प्राणों की रक्षा की किन्तु इस घटना के 10-15 मिनिट पश्चात् ही विद्यार्थियों ने फिर हाथों में पत्थर आदि लेकर उसे घेर लिया और मारना शुरू किया जिस पर पुलिस अधिकारियों ने महाविद्यालय के स्टाफ की सहायता से स्थिति पर नियंत्रण रखने एवं उसके जीवन की रक्षा करने का प्रयत्न किया. डाक्टर का पक्षनिवेदन रहा है कि उसने अपने कर्त्तव्य के प्रति कोई असाव-धानी नहीं बरती थी वरन उसने हर संभव वह प्रयत्न किया जो महेशकुमार सोंधिया के जीवन को बचाने हेतु उक्त परिस्थितियों में संभव था. अपने कर्त्तव्य के प्रति पूर्णतया सजग डाक्टर ही मरणासन्न रोगी को मुंह से मुह पद्धति द्वारा कृत्रिम श्वांस की क्रिया करेगा, जो भी उसने तत्काल की. सोंधिया को पेन्सलीन का अन्तःक्षेपण नहीं दिया गया था वरन अन्तःक्षेपण देने हेतु परीक्षण मात्र किया गया था और उक्त परीक्षण में ही उसे प्रतिक्रिया हुई जिस हेतु हर संभव प्रयास रोगी के जीवन को बचाने का किया गया किंतु यदि दुर्भाग्यवश रोगी का प्राणांत हो गया तो इसमें स्वयं उसका कोई दोष नहीं. डाक्टर का पक्षनिवेदन रहा है कि विद्यार्थी द्वारा की गई मारपीट में उसे अनेक चोटें आई और पसलियों का अस्थिभग हुआ तथा स्वयं को हुए मानसिक आघात के कारण उसे हृदयरोग का निदान भी किया गया. घटना के पश्चात भी फोन द्वारा उसकी पत्नी को जान से मारने की धमकी दी गई जबकि घटना हेतु स्वयं उसका कोई दोष नहीं.

(7) जिला दण्डाधिकारी और जिला अध्यक्ष की ओर से अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (प्रशासनिक) श्री त्रिवेदी एवं आरक्षी अधीक्षक की ओर से नगर अधीक्षक श्री पंडित ने दिनांक 30-7-73 को हमारे समक्ष एक संयुक्त तथ्य विवरण प्रस्तुत किया है और दिनांक 1-8-73 को अपने तथ्य विवरण की पुष्टि में पुलिस उपनिरीक्षक श्री भीमसिंह, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री त्रिवेदी, नगर अधीक्षक पुलिस श्री पंडित एवं मन्डल निरीक्षक पुलिस श्री जगमोहन खन्ना के शपथपत्र प्रस्तुत किये हैं. दिनांक 30-8-73 को डाक्टर श्री बी. के. दास एवं श्री भगवानसिंह के शपथपत्र भी प्रशासन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं. साक्ष्य स्टेज पर प्रशासन पक्ष की ओर से कम्पाउन्डर श्री भगवानसिंह (साक्षी क्रमांक 23), डाक्टर श्री दीवान (साक्षी क्रमांक 24), नगर अधीक्षक पुलिस श्री पंडित (साक्षी क्रमांक 27), तत्कालीन अतिरिक्त जिला दन्डाधि-कारी श्री त्रिवेदी (साक्षी क्रमांक 28), मण्डल निरीक्षक पुलिस श्री जगमोहन खन्ना (साक्षी क्रमांक 29) डाक्टर श्री दुबे (साक्षी क्रमांक 30), डाक्टर श्री बाजपेई (साक्षी क्रमांक 31), व्याख्याता श्री कृष्णगोपाल तिवारी (साक्षी क्रमांक 32), परिचालक श्री प्रहलाद शर्मा (साक्षी क्रमांक 33), आरक्षक श्री मन्नूलाल (साक्षी क्रमांक 34), पुलिस उपअधीक्षक श्री वर्मा (साक्षी क्रमांक 35), आरक्षक श्री शिववचनसिंह (साक्षी क्रमांक 36), पुलिस उप-निरीक्षक श्री रामस्वरूप मिश्रा (साक्षी क्रमांक 37), पुलिस उपनिरीक्षक श्री डी. एस. कटारे (साक्षी क्रमांक 38) तथा पुलिस उपनिरीक्षक श्री भीमसिंह (साक्षी क्रमांक 42),

पुलिस उपनिरीक्षक श्री अनिलपिंगे (साक्षी क्रमाक 43), पुलिस उपनिरीक्षक श्री एस. पी. मेहता (साक्षी क्रमांक 52), सिविल सर्जन डाक्टर श्री सी. वी. राजन (साक्षी क्रमांक 51), ड्रेसर श्री सैइयद आविद अली (साक्षी क्रमांक 48) एवं राज्य परिवहन के अधिकारी तथा कर्मचारीगण श्री वीरेन्द्रकुमार जैन (साक्षी क्रमांक 39), श्री कैलाशनाथ वांदी (साक्षी क्रमांक 40), श्री लक्ष्मीशंकर अयाची (साक्षी क्रमांक 49), चालकगण श्री मंगाराम (साक्षी क्रमांक 41), श्री मोहम्मद शरीफ खां (साक्षी क्रमांक 44), श्री मोहम्मद इब्राहीम (साक्षी क्रमांक 45), श्री खलील खां (साक्षी क्रमांक 46), श्री केवलराम (साक्षी क्रमांक 47) एवं श्री चतुर्भज शुक्ला (साक्षी क्रमांक 50) के कथन कराये गये हैं.

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत तथ्य विवरण इस आशय का रहा है कि घटना दिनांक 27-2-73 को 1250, तात्याटोपे नगर चिकित्सालय में विद्यार्थी श्री एम.के. सोंधिया की मृत्यु सम्भवत: पेन्सलीन की प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप हुई जो डाक्टर श्री कपूर के औषधिपत्र पर उक्त विद्यार्थी को लगाया गया था. उक्त घटना को लेकर विद्यार्थियों में भावना थी कि विद्यार्थी की मृत्यु का कारण डा. श्री कपूर की असावधानी है अत: वे डाक्टर श्री कपूर के प्रति आक्रोषित थे और शनै: शनै: लगभग 400 की संख्या में तात्या टोपेनगर चिकित्सालय में एकत्रित हो गये. विद्यार्थियों की भीड़ का आक्रोश डाक्टर कपूर के प्रति इस सीमा तक था कि वे न केवल विद्यार्थी की लाश की मांग कर रहे थे वरन साथ ही जीवित डाक्टर श्री कपूर की लाश भी मांगते थे जो उनके मत में विद्यार्थी की मृत्यु का उत्तरदायी था. विद्यार्थी श्री डाक्टर कपूर की मांग करते थे और उक्त मांग को स्वीकार करना डाक्टर श्री कपूर के जीवन को मृत्यु के मुख में सौंपना होता अत: डाक्टर कपूर को चिकित्सालय के एक कक्ष में सुरक्षा प्रदान की गई किन्तु विद्यार्थियों की क्रुद्ध भीड़ दरवाजा खिड़की तोड़कर अन्दर घुस आई और उसने न केवल टेलीफोन, फर्नीचर आदि सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई वरन डाक्टर कपूर के विरुद्ध भी बल प्रयोग किया तथा चिकित्सक कर्तव्य कक्ष (Duty room) के बाहर पत्थर भी फेंके. विद्यार्थियों की भीड़ ने अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री त्रिवेदी को भी पकड़ कर खींचा और उनके द्वारा यह घोषित करने पर भी कि वह एक दण्डाधिकारी हैं और विधि एवं शांति व्यवस्था हेतु आग्रह करते हैं विद्यार्थियों की भीड़ नियंत्रण में नहीं रही. विद्यार्थियों की भीड़ शनै: शनै: बढ़ रही थी और हिंसात्मक हो रही थी तथा पुलिस को भी वहां से चले जाने हेतु धमकी देती थी अत: दण्डाधिकारी के निर्देश पर छात्रों की उक्त भीड़ को चिकित्सालय प्रांगण के बाहर निकालने हेतु पुलिस द्वारा न्यूनतम बल प्रयोग किया गया जो घटना की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपरिहार्य (Inevitable) था.

(8) उपरोक्त सक्रिय पक्षकारों अर्थात विद्यार्थी पक्ष, प्राचार्य पक्ष, डाक्टर श्री कपूर पक्ष एवं प्रशासन पक्ष द्वारा प्रतिपादित उक्त पक्ष निवेदनों के अतिरिक्त मृतक विद्यार्थी श्री महेश कुमार सोंधिया के पिता श्री रतनचन्द सोंधिया, बहनोई श्री जिनेन्द्रकुमार जैन एवं उसके मित्र श्री बालकृष्ण सक्सेना एवं महाविद्यालय क्षेत्र में कार्यरत ड्रेसर श्री आविद अली ने भी घटना के संबंध में अपने अपने तथ्य विवरण एवं शपथपत्र प्रस्तुत कये हैं और यद्यपि उक्त व्यक्तियों ने परिपृच्छा की कार्यवाही में एक पक्षकार के रूप में नियमित रूप से भाग तो नहीं लिया है किन्तु उनके कथन हमारे द्वारा अंकित किये गये हैं. कम्पाउन्डर मोहम्मद फराइम (साक्षी क्रमांक 7) को विद्यार्थी पक्ष की ओर से आहूत किया गया था किन्तु उसका कथन विद्यार्थी पक्ष द्वारा नहीं कराया गया लेकिन उसकी साक्ष्य घटना के संबंध में महत्वपूर्ण होने से उक्त व्यक्ति का कथन हमारे द्वारा आयोग के साक्षी के रूप में अंकित किया गया

(9) श्री रतनचन्द सोंधिया का डाक द्वारा प्राप्त तथ्य विवरण इस आशय का रहा है कि मृतक महेश कुमार सोंधिया एक अत्याधिक प्रतिभावान एवं पूर्णतया स्वस्थ विद्यार्थी था जिसकी परीक्षा दिनांक 27-2-73 को समाप्त हुई और वह उसी दिन अपने पुत्र के लौटने की प्रतीक्षा में था कि रात 2 बजे गढ़ाकोटा स्थित अपने भवन पर उसे पुत्र के सहपाठी श्री सुभाषजैन ने सूचित किया कि महेशकुमार को भोपाल में पेन्सलीन के अन्त:क्षेपण की प्रतिक्रिया हुई है अत: उसे भोपाल चलना है. श्री रतनचन्द सोंधिया का तथ्य विवरण रहा है कि वह इस अप्रत्याशित समाचार से विचलित हो गया और श्री अरुणकुमार मलैया के साथ महाविद्यालय के वाहन में ही गढ़ाकोटा से रवाना होकर प्रात: 7 बजे भोपाल के 1250, शासकीय चिकित्सा-

ाय आया जहां उसने पुलिस का पहरा देखा अतः उसने अनुमान किया कि उसके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है. श्री रतनचन्द सोंधिया का पक्ष निवेदन रहा है कि उसे विदित हुआ कि महाविद्यालय के चिकित्सक ने गले में खराश व सर्दी की साधारण बीमारी हेतु श्री महेश कुमार सोंधिया को पेन्सलीन के अन्तःक्षेपण का औषधि निर्देश दिया था जो उनकी अनुपस्थिति में बिना परीक्षण किये कम्पाउन्डर द्वारा लगाया गया और जब उक्त अन्तःक्षेपण की प्रतिक्रिया हुई तो न तो प्रतिक्रिया निरोधक अन्तःक्षेपण ही लगाया गया और न ही तत्काल डाक्टर की सुविधा ही उपलब्ध हो सकी. अकारण ही समय व्यर्थ व्यतीत किया जाकर श्री महेशकुमार सोंधिया को 1250 चिकित्सालय लाया गया तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी किन्तु इस चिकित्सालय में भी परिचर्या का नाटक किया गया और अवधि व्यतीत हुए " Coramine " के कुछ अन्तःक्षेपण मृतक महेशकुमार को लगाये गये अतः उसका निश्चित मत रहा कि उसके पुत्र की मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं हुई फलतः उसने तत्संबंध में मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री से शिकायत की जिन्होंने न्यायिक जांच कराने हेतु आश्वस्त किया. रतनकुमार सोंधिया का कथन (साक्षी क्रमांक 1) हमारे द्वारा अंकित किया गया.

(10) श्री जिनेन्द्रकुमार जैन एवं श्री बालकृष्ण सक्सेना ने दिनांक 17-4-73 को हमारे समक्ष अपने अपने तथ्य विवरण स्वयं के शपथ पत्रों सहित प्रस्तुत किये. श्री जिनेन्द्र कुमार जैन द्वारा प्रतिपादित कि उन्हें महेश कुमार सोंधिया की मृत्यु का समाचार दिनांक 27-2-73 को रात्रि 9 बजे फोन पर प्राप्त हुआ जिसकी पुष्टि करने उपरान्त वह पशु चिकित्सक श्री बालकृष्ण सक्सेना तथा श्री गाडीगिल के साथ रात साढ़े 12 बजे की जनता एक्सप्रेस से भोपाल आया और यह सूचना मिलने पर कि महेश कुमार सोंधिया को शाम 7 बजे ही तात्या टोपे नगर के 1250 शासकीय चिकित्सालय में लेजाया गया है. वे रात 2 बजे उक्त चिकित्सालय पहुंचे जहां महेशकुमार की लाश थी. महेश कुमार सोंधिया की लाश नीली पड़ चुकी थी और उसके मुंह व नाक से झाग आते थे तथा वहीं एक अन्त क्षेपण की शीशी पड़ी थी किन्तु पेन्सलीन के परीक्षण का कोई चिन्ह मृतक की बांह पर नहीं था. श्री जिनेन्द्र कुमार एवं श्री बालकृष्ण का पक्ष निवेदन रहा है कि मृतक महेश कुमार सोंधिया की लाश 1250 चिकित्सालय के Minor operation-cum-dressing table पर थी जिसके निकट ही कचरा टोकरी में Benidox 1 ML. expiry date 5-4-73, Tetanus Antitoxin, expiry date 23-8-73, "calcium" जिस पर कोई अवसन्न तिथि (expiry date) नहीं थी, "Adrenaline chloride 1 Ml. expiry date August, 70," "Adrenaline chloride" 1 Ml. August 70" एवं "Avil" की खाली शीशियां पड़ी थीं. महेश कुमार सोंधिया का औषधिपत्र दिनांक 27-2-73 जो डाक्टर श्री दास द्वारा जारी किया गया था वहां उपलब्ध था किन्तु उक्त औषधिपत्र कम्पाउन्डर एवं डाक्टर द्वारा उन्हें मांगने उपरान्त भी नहीं दिया गया किन्तु जिसे बाद में उपनिरीक्षक श्री भीमसिंह द्वारा असोधित किया गया. उक्त औषधिपत्रानुसार डाक्टर दास ने coramine 2 M. L. I/M एवं Adrenaline chloride 2 M. L. I/M" के अन्तक्षेपण निर्देशित किये थे. श्री जिनेन्द्रकुमार जैन एवं श्री बालकृष्ण का पक्षनिवेदन है कि डाक्टर दास द्वारा निर्देशित जो अन्तक्षेपण मृतक महेशकुमार सोंधिया को दिये गये थे वे अवधि व्यतीत अन्तक्षेपण थे. इन व्यक्तियों का अभिमत रहा है कि डाक्टर श्री कपूर और डाक्टर श्री दास दोनों ही अपने कर्त्तव्य के प्रति असावधान रहे हैं. महाविद्यालय औषधालय में बिना प्रतिक्रिया परीक्षण किये पेन्सलीन का अन्तःक्षेपण दिया गया और व्यर्थ समय व्यतीत कर बिना प्रतिक्रिया निरोधक अन्तःक्षेपण दिये महेशकुमार सोंधिया को तात्या टोपे नगर 1250 चिकित्सालय लाया गया जहां भी समुचित परिचर्या नहीं की गई और ऐसे प्रभावहीन अन्तःक्षेपण दिये गये जिनके उपयोग हेतु निश्चित तिथि व्यतीत हो चुकी थी अतः डाक्टर श्री. कपूर एवं श्री दास दोनों ही अपराधिक असावधानी के दोषी हैं और उनकी उक्त असावधानी ही महेशकुमार सोंधिया की मृत्यु का कारण है. श्री जिनेन्द्र कुमार जैन (साक्षी क्रमांक 2) एवं श्री बालकृष्ण सक्सेना (साक्षी क्रमांक 3) का कथन हमारे द्वारा अंकित किया गया है.

(11) महाविद्यालज के औषधालय में कार्यरत ड्रेसर श्री आबिदअली ने दिनांक 1-8-73 को अपना तथ्य विवरण एवं शपथपत्र हमारे समक्ष प्रस्तुत किया. श्री आबिदअली के कथनानुसार डाक्टर श्री कपूर द्वारा महेश कुमार सोंधिया को "Decadron" का अन्तःक्षेपण उसके समक्ष उस समय दिया गया

था जबकि महेश कुमार सोंधिया पर पेन्सलीन के अन्तःक्षेपण की प्रतिक्रिया हुई थी. श्री आविदअली का पक्ष निवेदन है कि "Strepto Penicillin" की प्रतिक्रिया परीक्षण (Reaction test) हेतु ही अन्तःक्षेपण श्री फराइम ने उसके समक्ष लगाया था और उक्त परीक्षण मात्र से ही महेशकुमार सोंधिया पर पेन्सलीन की प्रतिक्रिया हुई थी. श्री आविदअली का पक्षनिवेदन रहा है कि उपयोग में लाया गया पेन्सलीन प्रतिक्रिया निरोधक अन्तःक्षेपण निर्धारित उपयोग तिथि व्यतीत होने के पूर्व का ही था और डाक्टर श्री कपूर ने उस समय तक महेशकुमार सोंधिया की कृत्रिम श्वांस क्रिया मुंह से मुंह द्वारा की जब तक कि उसे तात्या टोपे नगर स्थित चिकित्सालय नहीं ले जाया गया.

संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत उक्त तंथ्य विवरण एवं साक्ष्य की पृष्ठभूमि में आयोग को निराकरण हेतु प्रस्तावित विचारणीय प्रश्नों पर हमारे सकारण निष्कर्ष निम्नानुसार हैं :—

श्री एम. के. सोंधिया की मृत्यु का कारण—

(12) सर्व प्रथम विचारणीय प्रश्न यह है कि श्री एम. के. सोंधिया की मृत्यु का कारण क्या रहा है? वस्तुतः उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में इस आयोग के समक्ष भाग लेने वाले सक्रिय पक्षकारों एवं अन्य विविध व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत पक्ष निवेदनों में कोई गम्भीर विवाद नहीं और यह तथ्य एक प्रकार से सभी पक्षकारों द्वारा मान्य तथ्य है कि विद्यार्थी श्री एम. के. सोंधिया को "Strepto Penicillin" का अन्तःक्षेपण लगाया गया था और उक्त अन्तःक्षेपण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही उक्त विद्यार्थी की मृत्यु हुई. अन्तःक्षेपण पूर्णरूप से लगाया गया अथवा अन्तःक्षेपण की एक सीमित मात्रा मात्र प्रतिक्रिया जानने के अभिप्राय से लगाई गई यह तथ्य प्रस्तुत विचार हेतु महत्वपूर्ण नहीं क्योंकि चिकित्सा विज्ञान का यह सिद्धांत निर्विवाद है कि मात्र प्रतिक्रिया जानने हेतु अन्तःक्षेपण की परीक्षण मात्रा (test dose) के फलस्वरूप भी प्रतिक्रिया होने पर किसी व्यक्ति की मृत्यु सम्भावित है. तत्सम्बन्ध में डाक्टर कपूर द्वारा प्रस्तुत डाक्टर बी. दास (साक्षी क्रमांक 25) एवं डा. श्री बी. के. दास (साक्षी क्रमांक 22) तथा शासन द्वारा प्रस्तुत डा. राजन (साक्षी क्रमांक 51) यह कथन करने में सहमत हैं कि "पेन्सलीन" की परीक्षात्मक मात्रा की प्रतिक्रिया से भी व्यक्ति की मृत्यु संभावित है. तत्संबंध में The Pharmacological Basis of Therapeutics By Goodman and Gillman के पृष्ठ 1227 एवं 1228 का निम्न अंश हमारा मार्गदर्शक है :—

> "......Anaphylaxis has most often followed the injection of penicillin, although it has also been observed after oral ingestion of the drug, and has even resulted from the intradermal instillation of a very small quantity for the purpose of testing for the presence of hypersensitivity. The clinical pictures that develop vary in severity. The most dramatic is sudden. severe hypotension and rapid death..........".

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि न केवल पेन्सलीन के अन्तःक्षेपण से वरन उक्त अन्तःक्षेपण की मात्र परीक्षण मात्रा से भी अन्तःक्षेपण की प्रतिक्रिया होने पर व्यक्ति की मृत्यु सम्भव है. अन्तःक्षेपण पूर्ण रूप से लगाया गया अथवा अन्तःक्षेपण की मात्र परीक्षण मात्रा लगाई गई उक्त प्रश्न संबंधित कर्मचारी की सावधानी अथवा असावधानी निर्णित करने हेतु महत्वपूर्ण है किन्तु जहां तक रोगी की मृत्यु का प्रश्न है उक्त किसी भी दशा में अन्तःक्षेपण की प्रतिक्रिया होने पर मृत्यु सम्भावित है.

(13) डाक्टर श्री यशवन्तसिंह कपूर (साक्षी क्रमांक 19) स्वीकार करता है कि उसने विद्यार्थी श्री एम. के सोंधिया को "प्रोकीन पेन्सलीन" का अन्तःक्षेपण हेतु औषध निर्देश दिया था. कम्पाउन्डर मोहम्मद फराहिम (साक्षी क्रमांक 7) का कथन रहा है कि डाक्टर द्वारा दिये गये औषधि निर्देश क आधार पर ही उसने पेन्सलीन का अन्तःक्षेपण लगाने हेतु विद्यार्थी श्री एम. के. सोंधिया को उक्त अन्तःक्षेपण की परीक्षण मात्रा लगाई. चौकीदार अमरसिंह (साक्षी क्रमांक 15) का कथन रहा है कि कम्पाउन्डर

मोहम्मद फराहिम ने पेन्सलीन अन्तःक्षेपण की परीक्षण मात्रा ही विद्यार्थी श्री एम. के. सोंधिया को लगाई थी जिसके फलस्वरूप उक्त विद्यार्थी को अन्तःक्षेपण की प्रतिक्रिया हुई.. कम्पाउन्डर रामप्रसाद भार्गव (साक्षी क्रमांक 20) का भी कथन रहा है कि अन्तःक्षेपण लगाने के तत्काल बाद ही कम्पाउन्डर मोहम्मद फराहम ने आकर उसे सूचित किया कि परीक्षण मात्रा लगने पर ही विद्यार्थी को प्रतिक्रिया हो गई है. ड्रेसर सइयद आबिदअली (साक्षी क्रमांक 48) का भी कथन रहा है कि कम्पाउन्डर मोहम्मद फराहिम ने श्री एम. के सोंधिया को पेन्सलीन का अन्तःक्षेपण लगाया था जिसका चिन्ह उसके बायें हाथ की कलाई पर था और स्वयं सोंधिया ने उसे कहा था कि कम्पाउन्डर ने उसे परीक्षण हेतु अन्तःक्षेपण लगाया है. डाक्टर श्री रमेशचन्द्र सक्सेना (अभियोजन साक्षी क्रमांक 16), डा. बी. के. दास (अभियोजन साक्षी क्रमांक 22) और डाक्टर राजन (साक्षी क्रमांक 51) भी यह कथन करने में सहमत हैं कि मृतक सोंधिया के बायें हाथ पर अन्तः-क्षेपण लगाये जाने का चिन्ह था और उन्हें संबंधित व्यक्तियों द्वारा तत्काल ही यह बताया गया था कि श्री एम. के. सोंधिया को पेन्सलीन के अन्तःक्षेपण की प्रतिक्रिया हुई है. श्री रतनचन्द सोंधिया (साक्षी क्रमांक 1) एवं श्री जिनेन्द्र कुमार जैन (साक्षी क्रमांक 2) का भी यह ही कथन रहा है कि उन्हें बताया गया कि श्री एम. के. सोंधिया की मृत्यु पेन्सलीन के अन्तःक्षेपण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही हुई है. साक्ष्य की उक्त पृष्ठभूमि में यह तथ्य भली भांति स्पष्ट है कि श्री एम. के. सोंधिया को डाक्टर यशवन्त कपूर के औषधि-पत्र प्रदर्श पी. 8 के आधार पर कम्पाउन्डर मोहम्मद फराहिम ने अन्तःक्षेपण लगाया और उक्त अन्तःक्षेपण की प्रतिक्रिया तत्काल हुई जिसके फलस्वरूप ही रोगी विद्यार्थी की दशा गम्भीर हुई.

(14) वस्तुतः पेन्सलीन के अन्तःक्षेपण की उक्त प्रतिक्रिया ही श्री एम. के. सोंधिया की मृत्यु का कारण हुई थी यह स्थिति किसी भी साक्षी द्वारा विवादित नहीं. श्री एम. के. सोंधिया को अन्तःक्षेपण लगाया गया, उक्त अन्तःक्षेपण की प्रतिक्रिया श्री सोंधिया को हुई और पेन्सलीन के अन्तःक्षेपण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति की मृत्यु सम्भावित है यह तथ्य सिद्ध होने की दशा में यह निष्कर्ष सहज में ही अनुमानित किया जा सकता है कि श्री एम. के. सोंधिया की मृत्यु का कारण पेन्सलीन के अन्तःक्षेपण की प्रतिक्रिया ही रही है. प्रतिक्रिया निरोधक अन्तःक्षेपण लगाये गये अथवा नहीं यह तथ्य तो संबंधित डाक्टर की सावधानी अथवा असावधानी के द्योतक हैं किन्तु यह स्थिति स्वयं में विवादित नहीं कि प्रतिक्रिया निरोधक अन्तःक्षेपण लगाने के पश्चात् भी रोगी प्रतिक्रिया के घातक परिणामों से परे नहीं है और समस्त आवश्यक उपचार किये जाने के उपरान्त भी पेन्सलीन के अन्तःक्षेपण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप रोगी की मृत्यु सम्भावित है. तत्संबंध में डा. बी. दास (साक्षी क्रमांक 25) का कथन महत्वपूर्ण है. साक्षी का कथन रहा है कि शिशु रोग विशेषज्ञ एवं अन्य डाक्टरों की उपस्थिति में स्वयं उसके पुत्र की मृत्यु पेन्सलीन अन्तःक्षेपण की परीक्षण मात्रा की प्रति-क्रिया के परिणामस्वरूप हुई थी और समस्त आवश्यक उपचार तत्काल करने उपरान्त भी उक्त बालक को नहीं बचाया जा सका. प्रस्तुत प्रकरण में भी श्री एम. के. सोंधिया की मृत्यु का कारण पेन्सलीन अन्तःक्षेपण की प्रतिक्रिया रही है, यह तथ्य न केवल उपरोक्त विवेचन से अनुमानित है वरन उक्त विद्यार्थी के शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श एस. 23, 24 एवं 25 से तथा शव परीक्षा करने वाले डाक्टर श्री के. सी. दुबे (साक्षी क्रमांक 30) के कथन से प्रत्यक्षरूप से भी सिद्ध है. डाक्टर का कथन रहा है कि व्याधिविद (Pathologist) के प्रतिवेदनानुसार मृतक सोंधिया की मृत्यु "Strepto Pencillin" के अन्तक्षेपण के फलस्वरूप हुए "Anaphylactic Shock" के परिणामस्वरूप ही हुई थी. डा. के. सी. दुबे के उक्त अभिमत को किसी भी पक्षकार द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है.. अस्तु उक्त प्रत्यक्ष-साक्ष्य एवं हमारे द्वारा विवेचन की गई परिस्थिति साक्ष्य के आधार पर अनुमानित तथ्यों की पृष्ठभूमि में यह तथ्य भलीभांति सिद्ध है कि विद्यार्थी एम. के. सोंधिया की मृत्यु का कारण पेन्सलीन अन्तःक्षेपण की प्रति-क्रिया ही रही है.

क्या मृत्यु किसी व्यक्ति विशेष की उपेक्षा का परिणाम थी और यदि हां तो उक्त उपेक्षा के दोषी कौन-कौन व्यक्ति हैं?

(15) वस्तुतः डाक्टर यशवन्त कपूर ने विद्यार्थी श्री एम. के. सोंधिया का परीक्षण कर उसे पेन्सलीन हेतु औषधि निर्देश दिया था और तत्पश्चात् प्रतिक्रिया होने उपरान्त आवश्यक उपचार किया तथा उसे महाविद्यालय के औषधालय से तत्काल तात्या टोपे चिकित्सालय में ले जाया गया. कम्पाउन्डर मोहम्मद

फराहिम ने डाक्टर के औषधिपत्र के आधार पर श्री एम. के. सोंधिया को "पेन्सलीन" का अन्त:क्षेपण लगाया और प्रतिक्रिया होने पर तत्काल उपचार किया. श्री एम. के. सोंधिया को तात्या टोपे चिकित्सालय स्थानान्तरित (Shift) करने के पश्चात् उक्त चिकित्सालय पर रोगी विद्यार्थी का उपचार डाक्टर श्री बी. के. दास एवं सिविल सर्जन डाक्टर श्री सी. व्ही. राजन ने किया. अस्तु विद्यार्थी श्री एम. के. सोंधिया के उपचार के सम्बन्ध में यदि कोई उपेक्षा वरती गई तो उसका उत्तरदायित्व इन्हीं व्यक्तियों में से किसी पर है अत: विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या श्री एम. के. सोंधिया के उपचार के संबंध में कोई उपेक्षा वरती गई और यदि हां तो उक्त उपेक्षा हेतु उक्त व्यक्तियों में से कौन अधिकारी उत्तरदायी है?

(16) श्री एम. के. सोंधिया का परीक्षण दिनांक 27-2-73 को शाम लगभग 6-45 पर महाविद्यालय के औषधालय में डाक्टर यशवन्तसिंह कपूर द्वारा किया गया और उक्त डाक्टर ने उसे पेन्सलीन के अन्त:क्षेपण हेतु औषधि निर्देश दिया यह तथ्य विवादित नहीं अस्तु तत्संबंध में प्रथम विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या डाक्टर श्री कपूर ने श्री एम. के. सोंधिया को उक्त अन्त:क्षेपण निर्देशित करने में कोई त्रुटि की अथवा उपेक्षा वरती? डाक्टर यशवंतसिंह कपूर (साक्षी क्रमांक 19) का कथन रहा है कि एम. के. सोंधिया के नाक, गले व फेफड़े में संक्रमण (Inflamation) था और उक्त बीमारी "Coryza" के संबंध में ही उसने श्री एम. के. सोंधिया को पेन्सलीन के अन्त:क्षेपण हेतु औषधि निर्देश दिया था. कम्पाउन्डर मोहम्मद फराहिम (साक्षी क्रमांक 7) का भी कथन रहा है कि एम. के. सोंधिया को सर्दी, नजला, गले की शिकायत थी. डाक्टर कपूर के कूट परीक्षण में यह सुझाव दिया गया है कि उक्त बीमारी हेतु पेन्सलीन का अन्त:क्षेपण निर्देशित किया जाना आवश्यक नहीं था किन्तु डाक्टर कपूर उक्त सुझाव से अपनी असहमति प्रगट करता है. हमारे समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पेन्सलीन का अन्त:क्षेपण एक ऐसी औषधि है जिसका परिणाम कभी भी घातक हो सकता है अत: इस प्रकार की औषधि डाक्टर कपूर को "Coryza" जैसी साधारण बीमारी हेतु निर्देशित ही नहीं करना चाहिये थी और चूंकि डाक्टर कपूर ने आवश्यक न होने पर भी इस प्रकार को हानिकारक औषधि (Dangerous Medicine) का औषधि निर्देश (Prescription) दिया अत: डाक्टर का उक्त आचरण ही स्वयं में उसके दुस्साहस (Rashness) का द्योतक है. उक्त तर्क हेतु हमारा ध्यान श्री एम. के. सोंधिया के पिता श्री रतनचन्द सोंधिया (साक्षी क्रमांक 1) के इस कथन की ओर आकर्षित किया गया है कि श्री एम. के. सोंधिया को मामूली सा जुखाम था और उक्त मामूली सी बीमारी हेतु भयंकर परिणामों से भरपूर पेन्सलीन का अन्त:क्षेपण निर्देशित नहीं करना चाहिये था.

(17) हमारे मत में रतनचन्द सोंधिया का कथन एक पुत्र शोक मे विह्वल पिता की दुख अभिव्यक्ति मात्र है जिसे कोई विशेष महत्व प्रदान नहीं किया जा सकता तत्संबंध में डाक्टर श्री सी. बी. राजन (साक्षी क्रमांक 51) का कथन महत्वपूर्ण है. डाक्टर राजन स्वीकार करते हैं कि "Coryza" की बीमारी हेतु पेन्सलीन का अन्त:क्षेपण दिया जाना एक त्रुटिपूर्ण चिकित्सा नहीं. वस्तुत: डाक्टर स्वीकार करता है कि "Upper respiratory tract infections" हेतु जिसमें "Coryza" भी सम्मिलित है पेन्सलीन ही वह औषधि है जिसे डाक्टर प्राथमिकता प्रदान करेगा डाक्टर के कथन का समर्थन "The Pharmacological Basis of Therapeutics By Louis S. Goodman and Alfred Gilman" के पृष्ठ क्रमांक 1168 एवं 1169 से भी होता है. डाक्टर राजन का यह कथन भी रहा है कि यदि रोगी को पूर्व में भी पेन्सलीन का अन्त:क्षेपण लगाया जा चुका है तो ऐसे रोगी हेतु सामान्यत: "Coryza" की बीमारी हेतु पेन्सलीन ही निर्देशित किया जावेगा. सिविल सर्जन डाक्टर राजन के कथन एवं चिकित्सा विज्ञान की उक्त निर्दिष्टा पुस्तक (Medical Authority) की पृष्ठभूमि में चिकित्सा विज्ञान से अनभिज्ञ एवं पुत्र शोक से पीड़ित पिता रतनचन्द सोंधिया के इस कथन को कोई महत्व प्रदान नहीं किया जा सकता कि जुखाम जैसी बीमारी हेतु पेन्सलीन का अन्त:क्षेपण ही डाक्टर द्वारा निर्देशित किया जाना एक ऐसा आचरण था जो डाक्टर के दुस्साहस का द्योतक हो.

(18) प्रस्तुत प्रकरण में तो श्री एम. के. सोंधिया एक ऐसा रोगी था जिसे पूर्व में भी पेन्सलीन लग चुका था जैसा कि डाक्टर यशवन्तसिंह कपूर (साक्षी क्रमांक 19) के कथन से सिद्ध है. डाक्टर

कपूर एवं कम्पाउन्डर मोहम्मद फराहम (साक्षी क्रमांक 7) के कथनों से जिनका समर्थन औषधालय में रखे गये नियमित रजिस्टर के इन्द्राज पी. 8 व पी. 9 से होता है यह सिद्ध है कि घटना दिनांक के पूर्व दिनांक.23-12-70 एवं 26-12-69 को श्री एम. के सौंधिया को पेन्सलीन का अन्तःक्षेपण दिया गया था. उक्त स्थिति में जिस विद्यार्थी को डाक्टर कपूर द्वारा पेन्सलीन का अन्तःक्षेपण निर्देशित किया गया था वह व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे पेन्सलीन का अन्तःक्षेपण निर्देशित ही नहीं करना चाहिये था वरन वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे पूर्व में भी पेन्सलीन का अन्तःक्षेपण लगाया जा चुका था और उक्त स्थिति में यह स्वाभाविक ही है कि डाक्टर कपूर " Coryza " की बीमारी हेतु विद्यार्थी को पेन्सलीन का अन्तःक्षेपण ही निर्देशित करते विशेषकर इस स्थिति में जब कि उक्त दिन विद्यार्थी की परीक्षा के दिन थे. अस्तु पेन्सलीन का अन्तः क्षेपण निर्देशित किया जाना स्वयं में ऐसा आचरण नहीं था जो डाक्टर कपूर की असावधानी अथवा दुस्साहस का द्योतक हो. श्री रतनचन्द सौंधिया के उक्त कथन एवं उक्त साक्ष्य के आधार पर प्रस्तुत इस तर्क से कि पेन्सलीन एक ऐसी औषधि है जो गम्भीर परिणामों से भरी हुई है अतः उक्त औषधि डाक्टर को निर्देशित ही नहीं करना चाहिये थी, हम सहमत नहीं. वस्तुतः मेडिकल क्षेत्र में आज का युग पेन्सलीन का ही युग है और डाक्टरों ने "पेन्सलीन" के आविष्कार को एक महत्वपूर्ण एवं लाभदायक औषधि स्वीकार करते हुए ही उसका व्यापक उपयोग कर रखा है भले ही यदाकदा उक्त औषधि की घातक प्रतिक्रिया के परिणाम भी भुगतान पड़े हैं. तत्सम्बन्ध में मेडिकल क्षेत्र की महत्वपूर्ण अथार्टी "The Pharmacological Basis of Therapeutics by Louis S. Goodman and Alfred Gilman अपने पृष्ठ 1168 एवं 1169 पर निम्न टिप्पणी अंकित करती है:—

> "The fact that harmful effects may follow the therapeutic or the prophylactic use of anti infective agents must never discourage the physicians from their administration in any situation in which they are definitely indicated."

(19) केवल इस आधार पर कि पेन्सलीन के अन्तःक्षेपण की प्रतिक्रिया कभी कभी घातक हो सकती है उसके दूरगामी एवं तत्काल लाभदायक परिणामों से रोगी जगत को वंचित नहीं किया जा सकता. मात्र कांटे की चुभन की संभावना के आधार पर जिस प्रकार एक सुगंधित पुष्प का महत्व समाप्त नहीं होता उसी प्रकार मात्र प्रतिक्रिया की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए "पेन्सलीन" की, जो मेडिकल क्षेत्र में एक वरदान सिद्ध हुई है, उपयोगिता समाप्त नहीं हो जाती. केवल इस आधार पर कि "पेन्सलीन" का अन्तःक्षेपण यदा कदा घातक प्रतिक्रिया को जन्म देता है उस औषधि के उपयोग मात्र को, जब तक कि वह नियमों के विरुद्ध न किया गया हो, असावधानीपूर्ण अथवा दुस्साहसपूर्ण कृत्य नहीं कहा जा सकता. वर्तमान काल का मानव एक वैज्ञानिक युग का प्राणी है जिसे पग पग पर मत्यु की संभावना का सामना करने हेतु तत्पर रहना पड़ता है. मोटरयान अथवा वायुयान की दुर्घटनायें संभावित हैं और यदा कदा ऐसी दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप अनेक व्यक्तियों की मत्यु भी हुई है किन्तु मात्र उक्त संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए आज का मानव स्वयं को उक्त वाहनों के उपयोग से वंचित करने की स्थिति में नहीं और न ही उक्त वाहनों के उपयोग करने वाले व्यक्तियों को हम असावधान अथवा दुस्साहसी ही कह सकते हैं जब तक कि वह उक्त वाहनों का उपयोग स्वयं इस प्रकार से न करे जो उसे दुस्साहसी इंगित करे. इसी प्रकार जब तक कि "पेसन्लीन" के अन्तःक्षेपण का उपयोग नियमपूर्वक किया जा रहा है तब तक मात्र इस आधार पर कि पेन्सलीन के उपयोग के परिणामस्वरूप घातक प्रतिक्रिया संभावित है उक्त औषधि को न तो त्याज्य ही किया जा सकता और न ही ऐसी औषधि का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को असावधान अथवा दुस्साहसी ही निर्णीत किया जा सकता. अस्तु प्रस्तुत प्रकरण में डाक्टर श्री कपूर द्वारा श्री एम. के. सौंधिया को निर्देशित किया गया पेन्सलीन का अन्तःक्षेपण स्वयं में ही एक असावधानी पूर्ण अथवा दुस्साहस पूर्ण आचरण निर्णीत नहीं होता.

(20) औषधि निर्देश स्वयं में त्रुटिपूर्ण निर्णीत न होने की दशा में विचारणीय प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या डाक्टर कपूर ने पेंन्सलीन का अन्तःक्षेपण निर्देशित करते समय अथवा उक्त निर्देश अपने

अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों से पालन कराते समय ऐसी सावधानी नहीं बरती जो उससे अपेक्षित थी ? ततसम्बन्ध में डाक्टर कपूर के आचरण के विरुद्ध मुख्यतः तीन आक्षेप प्रतिपादित किये गये हैं. प्रथम आक्षेप यह रहा है कि डाक्टर कपूर को पेन्सलीन का अन्त:क्षेपण स्वयं ही लगाना चाहिये था जबकि द्वितीय आक्षेप यह है कि यदि डाक्टर ने स्वयं अन्तःक्षेपण नहीं लगाया तो उसे इस संभावना को दृष्टिगत रखते हुए कि ऐसे अन्त:क्षेपण की घातक प्रतिक्रिया संभावित है उस समय तक औषधालय में अवश्य रहना चाहिये था जब तक कि कम्पाउन्डर द्वारा अन्त:क्षेपण न लगा दिया गया हो. तत्सम्बन्ध में श्री रतनचन्द सोंधिया (साक्षी क्रमांक 1) का कथन रहा है कि डाक्टर कपूर, एम. के. सोंधिया को औषधिपत्र देकर औषधालय से चले गये जबकि उन्हें तब तक औषधालय में अवश्य रहना चाहिये था जब तक कि अन्त:क्षेपण लगा नहीं दिया जाता विशेषकर इस पृष्ठभूमि में जब कि उनके द्वारा ऐसी औषधि निर्देशित की गई थी जिसकी परीक्षणमाला की ही घातक प्रतिक्रिया संभावित थी. डाक्टर कपूर के कूट परीक्षण में एक सुझाव यह भी दिया गया है कि उसने संबंधित कम्पाउन्डर को अन्त:क्षेपण लगाने के पूर्व तत्सम्बन्ध में परीक्षात्मक अन्त:क्षेपण लगाने हेतु निर्देशित नहीं किया अतः उक्त सुझाव की पृष्ठभूमि में डाक्टर कपूर के विरुद्ध तीसरा आक्षेप यह है कि पेन्सलीन का अन्त:क्षेपण हेतु परीक्षात्मक अन्त:क्षेपण लगाने का निर्देश देकर डाक्टर ने अपने कर्तव्य के प्रति उपेक्षा बरती है.

(21) स्वयं के विरुद्ध प्रतिपादित आक्षेपों को डाक्टर कपूर द्वारा पूर्णतया अव्यवहारिक दर्शाया गया है. पेन्सलीन का अन्त:क्षेपण डाक्टर द्वारा स्वयं लगाना चाहिये था अथवा अन्त:क्षेपण लगाते समय डाक्टर को रोगी के निकट उपस्थित रहना चाहिये था और अन्त:क्षेपण स्वयं न लगाने की स्थिति में ऐसे प्रत्येक औषधि निर्देश के समय कम्पाउन्डर को अन्त:क्षेपण लगाने के पूर्व परीक्षात्मक अन्त:क्षेपण लगाने हेतु निर्देशत करना चाहिए था, डाक्टर कपूर द्वारा एसे निराधार आक्षेप प्रतिपादित किय गये हैं जो व्यवहारिकता की कसौटी पर किसी भी दृष्टिकोण से खरे नहीं उतरते. डाक्टर कपूर का पक्षनिवेदन रहा है कि प्रत्येक औषधिपत्र के समय चिकित्सक द्वारा कम्पाउन्डर को यह निर्देशित करना कि वह पेन्सलीन का अन्त:क्षेपण लगाने के पूर्व परीक्षात्मक अन्त:क्षेपण लगाये आवश्यक एवं व्यवहारिक नहीं विशेषकर तब जबकि उक्त कम्पाउन्डर स्वयं में एक प्रशिक्षित कम्पाउन्डर है और रोगियों को पेन्सलीन का अन्त:क्षेपण लगाना उसकी कर्तव्य सूची का ही एक कार्य है. पेन्सलीन का अन्त:क्षेपण बिना परीक्षात्मक अन्त:क्षेपण के न लगाया जावे यह एक ऐसा सर्वमान्य सिद्धांत है जिससे कोई भी प्रशिक्षित कम्पाउन्डर अनभिज्ञ नहीं और उक्त कारण से बिना किसी विशिष्ट निर्देश के ही तत्सम्बन्ध में कम्पाउन्डर से यह अपेक्षा सहज ही की जा सकती है कि वह पेन्सलीन का अन्त:-क्षेपण लगान के पूर्व उसका परीक्षात्मक अन्त:क्षेपण अवश्य लगायेगा. उक्त स्थिति में प्रत्येक औषधि निर्देश के समय डाक्टर द्वारा तत्सम्बन्ध में निर्देश देना आवश्यक नहीं और यदि प्रशिक्षित कम्पा-उन्डर पेन्सलीन का अन्त:क्षेपण लगाने के पूर्व परीक्षात्मक अन्त:क्षपण नहीं लगाता है तो स्वयं उक्त कम्पाउन्डर ही अपना कर्तव्य असावधानीपूर्वक अथवा दुस्साहस पूर्वक करने का दोषी है और तत्सम्बन्ध में डाक्टर को इस आधार पर असावधान अथवा दुस्साहसी इंगित नहीं किया जा सकता कि उसने प्रत्येक औषधि पत्र में कम्पाउन्डर को पेन्सलीन का अन्त:क्षेपण लगाने के पूर्व उसका परीक्षात्मक अन्त:क्षेपण लगाने हेतु स्पष्ट निर्देश नहीं दिया. अन्त:क्षेपण निर्देशित करना डाक्टर का कर्त्तव्य है जबकि अन्त:क्षेपण लगाना एक प्रशिक्षित कम्पाउन्डर का कर्त्तव्य है अतः डॉक्टर कपूर का पक्ष निवेदन रहा है कि उसके द्वारा अन्त:क्षेपण न लगाया जाना ऐसा तथ्य नहीं जो उसके आचरण को किसी प्रकार आपत्तिजनक इंगित करें. डाक्टर कपूर ने अन्त:क्षपण की प्रतिक्रिया के समय स्वयं का औषधालय से चले जाना तो स्वीकार किया है किन्तु उनका पक्ष निवेदन रहा है कि पेन्सलीन के अन्त:क्षेपण की प्रतिक्रिया होने पर कम्पाउन्डर द्वारा तत्काल ही रोगी को समुचित प्रतिक्रिया निरोधक अन्त:क्षेपण दिया गया और स्वयं उन्होंने भी बिना किसी विलम्ब के वापिस आकर रोगी का आवश्यक उपचार किया अतः उनकी अनुपस्थिति से घटना में कोई अन्तर नहीं आया. डाक्टर का पक्ष निवेदन रहा है कि अपने कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् उसस औषधालय में तब तक रुके रहने की अपेक्षा नहीं की जा सकती जब तक कि उसके अधीनस्थ कर्म-चारी औषधि निर्देशों के अनुसार सभी रोगियों से निवृत्त न हो जाये और ऐसी स्थिति में उसका कार्यकाल

की समाप्ति के पश्चात् औषधालय से निकट ही स्थिति अपने निवासार्थ गृह की ओर चले जाना स्वयं में एक ऐसा आचरण नहीं जो किसी विपरीत टिप्पणी का आधार बन सके विशेषकर तथ्यों की इस पृष्ठभूमि में कि वह न केवल तत्काल वापिस आ गया था वरन उसकी अनुपस्थिति से रोगी के उचित उपचार में कोई व्यवधान नहीं हुआ. डाक्टर की ओर से प्रस्तुत तर्क रहा है कि घटना घटित हो जाने के पश्चात् तो प्रत्येक व्यक्ति सहज ही अपेक्षाकृत अधिक बुद्धिमान हो जाता है किन्तु घटना के परिणामों के आधार पर घटना के पूर्व किये गये आचरण की शव परीक्षा किया जाना युक्ति संगत नहीं. यह स्वयं में एक आदर्श व्यवस्था हो सकती है कि डाक्टर स्वयं ही पेन्सलीन का अन्त:क्षेपण रोगी को लगाये अथवा कम्पाउन्डर द्वारा अन्त:क्षेपण लगाते समय रोगी के निकट तब तक उपस्थित रहे जब तक कि रोगी पेन्सलीन का अन्त:क्षेपण लगाने के पश्चात् सकुशल वापिस नहीं लौट जाता किन्तु डाक्टर कपूर की ओर से प्रस्तुत तर्क इस आशय का रहा है कि व्यवहारिकता की दृष्टि से न तो वैसी व्यवस्था संभव ही है और न ही किसी डाक्टर द्वारा तदानुसार आचरण न करने पर उसे किसी प्रकार की असावधानी अथवा दुस्साहस का दोषी ही निर्णित किया जा सकता है.

(22) हमारे मत में जहां तक डाक्टर कपूर के विरुद्ध प्रतिपादित इन आक्षपों का प्रश्न है कि पेन्सलीन का अन्त:क्षेपण उन्हें स्वयं ही लगाना चाहिये था अथवा उक्त अन्त:क्षेपण का औषध निर्देश देते समय कम्पाउन्डर को परीक्षात्मक अन्त:क्षेपण लगाने हेतु भी स्पष्ट रूप से प्रथक निर्देश देना चाहिये था, उक्त आक्षेप पूर्णतया निस्सार है. स्वयं कम्पाउन्डर मोहम्मद फराहिम (साक्षी क्रमांक 7) यह स्वीकार करता है कि पेन्सलीन का अन्त:क्षेपण लगाने हेतु लिखित निर्देश उसे दिये गये हैं. साक्षी एक प्रशिक्षिण प्राप्त कम्पाउन्डर है जो गत 15 वर्षों से उक्त कार्य कर रहा है. साक्षी का कथन रहा है कि पेन्सलीन का अन्त:-क्षेपण हमेशा ही वह स्वयं लगाता था जबकि डाक्टर अन्त:क्षेपण के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं रहते थे. साक्षी यह भी कथन करता है कि चूंकि एम. के. सोंधिया को पेन्सलीन का अन्त:क्षेपण लगाये हुये 6 महीने से अधिक का समय व्यतीत हो गया था अत: उसने घटना दिनांक को सम्पूर्ण अन्त:क्षेपण लगाने के पूर्व केवल परीक्षात्मक मात्रा में ही अन्त:क्षेपण श्री एम. के. सोंधिया को लगाया था जिसकी ही घातक प्रतिक्रिया विद्यार्थी को हुई. श्री माधव खरे (साक्षी क्रमांक 21) एवं कम्पाउन्डर श्री रामप्रसाद भार्गव (साक्षी क्रमांक 20) भी यह स्थिति स्वीकार करते हैं कि अन्त:क्षेपण लगाने का काम कम्पाउन्डर ही का था और तत्सम्बन्ध में कम्पाउन्डर को आवश्यक निर्देश प्राप्त थे जबकि स्वयं डाक्टर द्वारा पेन्सलीन के अन्त:क्षेपण के समय वहां नहीं रहते थे. शासन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सिविल सर्जन डाक्टर राजन (साक्षी क्रमांक 51) भी अपने कथन में इस स्थिति को स्वीकार करते हैं कि पेन्सलीन के तथा अन्य औषधियों के अन्त:क्षेपण लगाने का कार्य कम्पाउन्डर तथा नर्सों का ही है और औषधनिर्देशक डाक्टर हेतु अन्त:क्षेपण के समय रोगी के निकट उपस्थित होना न तो आवश्यक ही है और न सम्भव ही. साक्ष्य के उक्त विवेचन की पृष्ठ भूमि में डाक्टर कपूर के विरुद्ध प्रतिपादित यह दो आक्षेप कि उन्हें श्री एम. के. सौंधिया को पेन्सलीन का अन्त: क्षेपण दिये जाने हेतु अपने कम्पाउन्डर पर आश्रित नहीं रहना चाहिये था और यदि वे आश्रित रहे भी थे तो उन्हें कम्पाउन्डर को तत्सम्बन्ध में परीक्षात्मक अन्त:क्षेपण लगाने हेतु स्पष्ट निर्देश पृथक से देना चाहिये थे, उचित नहीं.

(23) प्रकरण में गम्भीरता पूर्वक विचारणीय प्रश्न तो डाक्टर कपूर के विरुद्ध प्रतिपादित यह आक्षेप रहा है कि उन्हें उस समय तक औषधालय से नहीं जाना चाहिये था जब तक कि कम्पाउन्डर द्वारा रोगी विद्यार्थी को अन्त:क्षेपण न लगा दिया गया था? उक्त आक्षेप के गुण दोषों पर अथवा आक्षेप की गम्भीरता पर विचार करने के पूर्व प्रकरण में सिद्ध कतिपय तथ्यों का उल्लेख आवश्यक होगा. स्वयं डाक्टर कपूर द्वारा यह स्थिति विवादित नहीं की गई है कि उन्होंने विद्यार्थी श्री एम. के. सौंधिया का परीक्षण किया, उसे आवश्यक औषधि निर्देश दिया और फिर बिना इस बात की प्रतीक्षा किये कि विद्यार्थी को पेन्सलीन का अन्त:क्षेपण कम्पाउन्डर द्वारा लगाया जाता है अपने कार्यकाल समाप्ति के पश्चात् औषधालय से चले गये. साक्ष्य से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि विद्यार्थी को अन्त:क्षेपण की प्रतिक्रिया होने पर और तत्सम्बन्ध में मार्ग में डाक्टर रमेशचन्द्र सक्सेना (साक्षी क्रमांक 16) द्वारा सूचना प्राप्त होने पर डाक्टर कपूर तत्काल मार्ग से ही वापिस औषधालय लौट आये और उन्होंने पेन्सलीन की प्रतिक्रिया के शिकार विद्यार्थी का आवश्यक उपचार किया. यह तथ्य भी साक्ष्य से स्पष्ट है कि डाक्टर कपूर का निवासार्थ गृह औषधालय से.

अधिक दूर नहीं, डाक्टर कपूर जब औषधालय से अपने निवासार्थ गृह की ओर गये तो इनके कार्यकाल की अवधि व्यतीत हो चुकी थी और उनको वापिस औषधालय लौटने में लगभग 5 मिनिट लगे किन्तु यह तथ्य भी समान रूप से स्पष्ट है कि विद्यार्थी को पेन्सलीन का अन्तःक्षेपण लगाये जाने के समय कोई डाक्टर औषधालय प्रागंण में उपलब्ध नहीं था. डाक्टर कपूर के विरुद्ध यह आक्षेप है कि उन्हें उस समय तक औषधालय से किसी भी दशा में नहीं जाना चाहिये था जब तक कि कम्पाउन्डर पेन्सलीन का परीक्षात्मक अन्तःक्षेपण विद्यार्थी को नहीं लगा लेता है विशेषकर इस स्थिति में जब कि औषधालय में अन्य कोई डाक्टर उपलब्ध नहीं रहता और डाक्टर कपूर द्वारा निर्देशित औषधि स्वयं में घातक प्रतिक्रिया से परिपूर्ण औषधि थी. डाक्टर कपूर द्वारा प्रतिपादित है कि एक डाक्टर से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह औषधालय से तब तक न जाये जब तक कि उसके अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों द्वारा औषधि निर्देशों पर पूर्णतया पालन न कर लिया गया हो डाक्टर कपूर की ओर से प्रस्तुत तर्क रहा है कि कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् उसके लिये यह आवश्यक नहीं था कि वह तब तक औषधालय में रुके जब तक कि सभी रोगी अपने अपने औषधि निर्देशों के अनुसार औषधियां प्राप्त करके न चले गये होते अथवा उन्हें निर्देशित अन्तःक्षेपण न लगाये जा चुके होते. डाक्टर का तर्क है कि ऐसे किसी निष्कर्ष का अर्थ तो यह होगा कि कोई भी डाक्टर औषधालय से तभी जा सकेगा जब कि उसके अधीनस्थ कार्यरत सभी कर्मचारियों द्वारा अपना अपना कार्य समाप्त कर दिया गया हो. दूसरे शब्दों में एक डाक्टर से औषध निर्देशों के समुचित पालन होने तक चिकित्सालय में उपस्थित होने की अपेक्षा करना डाक्टर कपूर द्वारा एक अव्यवहारिक अपेक्षा प्रतिपादित की गई है.

(24) यह स्थिति विवादित नहीं की जा सकती कि बड़े बड़े चिकित्सालयों में यह सम्भव नहीं कि एक चिकित्सक इस ओर भी ध्यान दे कि उसके द्वारा दिये गये औषधि निर्देशों का पालन किया जा चुका है अथवा नहीं और वह स्वयं तब तक चिकित्सालय से न जाए जब तक कि सभी औषधि निर्देशों का पालन न हो जाये भले ही उसका कार्यकाल समाप्त क्यों न हो गया हो किन्तु तत्सम्बन्ध में बड़े बड़े चिकित्सालयों (Hospital) की स्थिति और इस महाविद्यालय के औषधालय (Dispensary) की स्थिति की भिन्नता दृष्टि ओझल नहीं की जा सकती. डाक्टर कपूर जिस औषधालय से सम्बन्धित रहे हैं वह औषधालय वस्तुतः केवल महाविद्यालय के विद्यार्थियों के उपचार हेतु है और उक्त औषधालय के चिकित्सक एवं उसके अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों से अन्य चिकित्सालयों की तुलना में अधिक सावधानी एवं सतर्कता की अपक्षा सहज ही की जाती है. विद्यार्थियों के माता पिता वस्तुतः इसी विश्वास के साथ अपनी संतान को महाविद्यालय के छात्रावास में रखते हैं कि उनकी अनुपस्थिति में भी उनके पुत्रों की समुचित देखरेख महाविद्यालय से सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा की जायेगी और ऐसी स्थिति में सार्वजनिक चिकित्सालयों में प्रचलित व्यवस्था के मापदण्डों से महाविद्यालय औषधालय के चिकित्सक की सेवाओं को नहीं मापा जा सकता. अन्य बड़े बड़े चिकित्सालयों में कोई न कोई डाक्टर चिकित्सालय प्रांगण में अवश्य ही उपलब्ध रहता है और ऐसी स्थिति में यदि औषध निर्देश देने वाला डाक्टर इस तरह से चला भी जाये तो आवश्यकता पड़ने पर आपात कर्तव्य (Emergency duty) हेतु नियुक्त अन्य चिकित्सक की सेवायें उपलब्ध रहती हैं किन्तु महाविद्यालय के औषधालय में डाक्टर कपूर के अतिरिक्त अन्य कोई डाक्टर नहीं रहते अतः एसी स्थिति में डाक्टर कपूर के चले जाने पर कम्पाउन्डर को आवश्यकता पड़ने पर तत्काल ही किसी डाक्टर की सेवायें उचित परामर्श अथवा निर्देश हेतु उपलब्ध नहीं रहती और डाक्टर की अनुपस्थिति में उत्पन्न ऐसी सम्भावनाओं का खतरा बना ही रहता है जो कम्पाउन्डर के विवेक एवं नियन्त्रण से परे हों. यह सही है कि प्रस्तुत घटना डाक्टर कपूर की अनुपस्थिति का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं किन्तु तथ्यों की वस्तुस्थिति इस स्थिति से प्रभावित नहीं मानी जा सकती कि यदि चिकित्सक का परामर्श एवं निर्देश तत्काल उपलब्ध भी रहता तो भी वस्तुस्थिति वही रहती जो घटित हुई. डाक्टर कपूर की अनुपस्थिति के कारण प्रतिक्रिया होने पर कम्पाउन्डर को तत्काल डाक्टर का परामर्श एवं निर्देश उपलब्ध नहीं हुआ और उसे स्वयं अपने विवेक के आधार पर ही प्रतिक्रिया निरोधक अन्तःक्षेपण देना पड़ा. उक्त उपचार एक उचित उपचार था यह तथ्य इस स्थिति को प्रभावित नहीं करता. उक्त उपचार का निर्देश देने हेतु डाक्टर ही एक सक्षम व्यक्ति था न कि स्वयं कम्पाउन्डर.

(25) कम्पाउन्डर का प्रशिक्षण केवल अन्तःक्षेपण लगाने की कला में दक्षता प्राप्त करना है. अन्तःक्षेपण की प्रतिक्रिया हुई और यदि प्रतिक्रिया हुई तो उसकी तीव्रता क्या है और उक्त दशा में कौन

सा प्रतिक्रिया निरोधक अन्तःक्षेपण अधिक उपयुक्त होगा, यह विषय चिकित्सा विज्ञान से सम्बन्धित विषय है और उक्त विषय के सम्बन्ध में वस्तुतः स्वयं चिकित्सक ही एक मात्र सक्षम निर्णायक है, कम्पाउन्डर न तो तत्सम्बन्ध में प्रशिक्षित ही किया जाता है और न ही उससे तत्सम्बन्ध में किसी दक्षता की अपेक्षा ही की जा सकती है वैसे यह एक भिन्न तथ्य है कि बहुधा प्रतिक्रिया निरोधक अन्तःक्षेपण इस प्रकार के रहते हैं कि प्रतिक्रिया होने पर एक अनुभवी कम्पाउन्डर सामान्यता सही ही प्रतिक्रिया निरोधक अन्तःक्षेपण लगाता है किन्तु कौन सा प्रतिक्रिया निरोधक अन्तःक्षेपण लगाया जाये तत्सम्बन्ध में निर्देश देने का कार्य वस्तुतः डाक्टर का ही है, कम्पाउन्डर का नहीं. कम्पाउन्डर का कार्य तो केवल डाक्टर द्वारा निर्देशित अन्तःक्षेपण को शरीर में लगाने तक ही सीमित है, अन्तःक्षेपणों के सम्बन्ध में स्वयं कोई निर्णय लेने का अधिकार सामान्यतः कम्पाउन्डर का नहीं. उक्त स्थिति में यदि पेन्सलीन के अन्तःक्षेपण की प्रतिक्रिया होती है तो तत्सम्बन्ध में यह निर्णय करने का कार्य कि प्रतिक्रिया किस प्रकार की है और रोगी को कौन सा प्रतिक्रिया निरोधक अन्तःक्षेपण दिया जाय इसका निर्देश डाक्टर द्वारा ही किया जाना चाहिये जबकि कम्पाउन्डर का कार्य केवल डाक्टर द्वारा निर्देशित प्रतिक्रिया निरोधक अन्तःक्षेपण को रोगी को देने तक सीमित है. अनेक प्रतिक्रिया निरोधक अन्तःक्षेपणों में से कौन से अन्तःक्षेपण दिया जाना अधिक उपयुक्त होगा यह विषय वस्तुतः चिकित्सा विज्ञान से सम्बन्धित है जिसके निर्णय का अधिकार स्वयं के अनुभव एवं चिकित्सा विज्ञान की जानकारी के आधार पर चिकित्सक का ही है जो प्रतिक्रिया की तीव्रता के आधार पर ही उपयुक्त प्रतिक्रिया निरोधक अन्तःक्षेपण निर्देशित करेगा. प्रस्तुत प्रकरण में पेन्सलीन की प्रतिक्रिया होने पर जो पहला प्रतिक्रिया निरोधक अन्तःक्षेपण कम्पाउन्डर द्वारा दिया गया था वह डाक्टर की अनुपस्थिति में स्वयं कम्पाउन्डर के स्वविवेक पर ही आश्रित था, डाक्टर के औषधि निर्देश पर नहीं. कम्पाउन्डर द्वारा दिया गया प्रतिक्रिया निरोधक अन्तःक्षेपण पूर्णतया उचित था और स्वयं डाक्टर का निर्देश तत्सम्बन्ध में भिन्न नहीं रहा होता यह तथ्य स्वयं डाक्टर के आचरण का औचित्य सिद्ध नहीं कर सकता भले हो डाक्टर की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति से तत्सम्बन्ध में रोगी की स्थिति में कोई अन्तर नहीं आया होता. स्थिति यह ही रही है कि डाक्टर ने न तो अपने समक्ष ही प्रतिक्रिया जानने हेतु परीक्षात्मक अन्तःक्षेपण रोगी को लगवाया और न उस समय तक ही औषधालय में रुका जब तक कि कम्पाउन्डर ने प्रतिक्रिया जानने हेतु अन्तःक्षेपण रोगी को लगाया. डाक्टर कपूर ने परीक्षात्मक अन्तःक्षेपण की प्रतिक्रिया विदित होने के पूर्व ही केवल इस आधार पर कि उसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और नियमानुसार अन्तःक्षेपण लगाने का कार्य स्वयं उसका नहीं था चिकित्सालय से रवाना होकर स्वयं को उस समय अनुपस्थित रखा (भले ही उक्त अनुपस्थिति केवल 5 मिनिट की ही क्यों न रही हो) जबकि रोगी को पेन्सलीन के अन्तःक्षेपण की प्रतिक्रिया हुई और इस प्रकार रोगी को प्रतिक्रिया निरोधक अन्तःक्षेपण देते समय डाक्टर की सेवायें उपलब्ध नहीं हो सकीं.

(26) हमारे निष्कर्ष का तात्पर्य यह नहीं कि प्रत्येक चिकित्सक औषधालय में उस समय तक प्रतीक्षा करे जब तक कि प्रत्येक औषधि पत्र का पालन हो चुका हो किन्तु हमारा यह अभिमत है कि ऐसे औषधनिर्देशों के सम्बन्ध में जिनकी घातक प्रतिक्रिया सम्भावित है और घातक प्रतिक्रिया होने की दशा में अन्य चिकित्सक की सेवायें तत्काल उपलब्ध नहीं हो सकती हैं तो उक्त स्थिति का मापदण्ड कुछ सीमा तक निश्चित ही भिन्न है और उक्त स्थिति में चिकित्सक से न केवल यह अपेक्षा की जाती है वरन उसका यह कर्तव्य है कि वह घातक प्रतिक्रिया वाली औषधि का निर्देश देते समय स्वयं को उक्त औषधि की रोगी पर हुई प्रतिक्रिया से भी अवगत कर. पेन्सलीन का अन्तःक्षेपण निर्विवाद रूप से एक ऐसी ही औषधि रही है और यदाकदा उक्त अन्तःक्षेपण के परिणाम स्वरूप व्यक्तियों की मृत्यु हुई है. समस्त आवश्यक उपचार करने उपरान्त भी ऐसे व्यक्तियों को मृत्यु के मुख से नहीं बचाया जा सका है अथवा प्रतिक्रिया होने पर उसका एकमात्र उपचार प्रतिक्रिया निरोधक अन्तःक्षेपण देना है जो प्रस्तुत प्रकरण में प्रशिक्षित कम्पाउन्डर द्वारा किया गया है, ऐसे तथ्य नहीं जो स्वयं डाक्टर द्वारा परीक्षात्मक अन्तःक्षेपण के समय औषधालय से चले जाने के आचरण का औचित्य दर्शा सकें.

(27) हमारे मत में इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में कि डाक्टर कपूर एक महाविद्यालय से सम्बन्धित औषधालय के चिकित्सक थे, उनके द्वारा एक विद्यार्थी को घातक प्रतिक्रिया से निहित औषधि निर्देश दिया गया था तथा प्रतिक्रिया होने पर औषधालय में अन्य कोई चिकित्सक उपलब्ध नहीं था केवल इन नियमों की आड़ में कि उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था और अन्तःक्षेपण लगाने का कार्य कम्पाउन्डर का था

चिकित्सालय से उस समय तक नहीं जाना चाहिये था जब तक कि विद्यार्थी को पेन्सलीन का परीक्षात्मक अन्तःक्षेपण लगा कर उस पर हुई प्रतिक्रिया का अध्ययन न कर लिया गया होता. प्रकरण की विशिष्ट परिस्थितियों में डाक्टर यशवन्त कपूर को चाहिये था कि जब उन्होंने पेन्सलीन के अन्तःक्षेपण का औषध निर्देश विद्यार्थी को दिया था तो स्वयं औषधालय से जाने के पूर्व यह भी देखते कि उक्त अन्तःक्षेपण की कोई प्रतिक्रिया रोगी पर हुई तो नहीं है ताकि प्रतिक्रिया होने की दशा में रोगी को उनके ज्ञान एवं अनुभव की सहायता तत्काल ही उपलब्ध रहती. परीक्षात्मक मात्रा अवश्य ही डाक्टर को अपनी उपस्थिति में रोगी को दिलाना चाहिये थी और यदि प्रतिक्रिया नहीं होती तो भले ही अन्तःक्षेपण लगाने का उत्तरदायित्व कम्पाउन्डर पर छोड़ कर डाक्टर निश्चिन्त रूप से जा सकता था किन्तु बगैर इस बात की जांच किये कि रोगी को प्रतिक्रिया तो नहीं होती डाक्टर का औषधालय से चले जाना और यह कहना कि उसका निवास स्थान औषधालय से केवल तीन चौथाई किलोमीटर की दूरी पर ही था, उसका ड्यूटी कार्य समाप्त हो गया था और अन्तःक्षेपण लगाने का उत्तरदायित्व कम्पाउन्डर का था इस तथ्य का द्योतक है कि स्वयं चिकित्सक ने औषधालय से बिना यह जाने कि पेन्सलीन की प्रतिक्रिया तो नहीं होती औषधालय से अपने घर की ओर रवाना होकर इस प्रकार की अधीरता प्रदर्शित की जो एक कर्तव्यनिष्ठ चिकित्सक से अपेक्षित नहीं, भले ही डाक्टर कपूर की अपने कर्तव्य की प्रति की गई यह उपेक्षा अथवा असावधानी अपराधिक निर्णित न हो. हमारे उक्त निराकरण का अर्थ यह नहीं कि हम किसी व्यक्ति के आचरण को सामान्य परिस्थितियों की पृष्ठ भूमि में न देखकर स्वयं का पथ प्रदर्शन दुर्घटना के परिणामों से करते हैं अथवा डाक्टर कपूर से ऐसी सतर्कता की आशा करते हैं जो सामान्यतः आवश्यक एवं संभव नहीं वरन हमारा अभिमत स्पष्ट ही विचारणीय घटना एवं उससे सम्बन्धित व्यक्तियों की विशिष्ट पृष्ठभमि में रहा है जो डाक्टर कपूर से उस आचरण की अपेक्षा अधिक सजग एव सतर्क आचरण की अपेक्षा रखता है जो सामान्यतः एक चिकित्सक से साधारण परिस्थितियों में अपेक्षित किया जाता है. अस्तु उक्त पृष्ठभूमि में डाक्टर यशवन्त कपूर का परीक्षात्मक अन्तःक्षेपण के फलस्वरूप हुई प्रतिक्रिया से स्वयं को अवगत कराए बिना ही औषधालय से अपने निवास गृह जाना अपने कर्तव्य के प्रति उपेक्षा को दर्शाता है.

(28) उक्त निराकरण के पश्चात् हम अपना ध्यान इस ओर केन्द्रित करते हैं कि क्या कम्पाउन्डर फराहिम ने पेन्सलीन का अन्तःक्षेपण देते समय या अन्तःक्षेपण के पश्चात् प्रतिक्रिया उत्पन्न होने पर आवश्यक उपचार करने में कोई असावधानी बरती ? कम्पाउन्डर मोहम्मद फराहिम के विरुद्ध एक आक्षेप यह है कि उसने पेन्सलीन का अन्तःक्षेपण बिना परीक्षात्मक अन्तःक्षेपण लगाये ही विद्यार्थी श्री एम. के. सोंधिया को लगाया. दूसरा आक्षेप मोहम्मद फराहिम के विरुद्ध यह है कि पेन्सलीन के अन्तःक्षेपण की प्रतिक्रिया होने पर उसने तत्काल कोई आवश्यक उपचार नहीं किया. वस्तुतः उक्त दोनों ही आक्षेपों के सम्बन्ध में विद्यार्थी पक्ष अथवा अन्य किसी पक्ष द्वारा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जा सकी है. कम्पाउन्डर मोहम्मद फराहिम ने जब विद्यार्थी श्री एम. के. सौंधिया को पेन्सलीन का अन्तःक्षेपण लगाया और प्रतिक्रिया होने पर तत्सम्बन्ध में आवश्यक उपचार किया उस समय पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की पृष्ठ भूमि में महाविद्यालय औषधालय में कम्पाउन्डर श्री मोहम्मद फराहिम के अतिरिक्त कम्पाउन्डर श्री रामप्रसाद भार्गव (साक्षी क्रमांक 20) ड्रेसर श्री सईयद आबिदअली (साक्षी क्रमांक 58) चौकीदार श्री अमरसिंह (साक्षी क्रमांक 15) श्री माधव खरे (साक्षी क्रमांक 21) और डाक्टर श्री रमेशचन्द सक्सेना (साक्षी क्रमांक 16) की उपस्थिति सिद्ध है किन्तु उक्त साक्षीगण में से कोई भी साक्षी ऐसा कथन नहीं करता जिसके आधार पर कम्पाउन्टर मोहम्मद फराहिम के विरुद्ध लगाये गये किसी आक्षेप की पुष्टि हो. डाक्टर श्री रमेशचन्द सक्सेना का कथन प्राचार्य पक्ष की ओर से कराया गया है किन्तु उक्त साक्षी केवल यह कथन करता है कि जब वह औषधालय पहुंचा तो विद्यार्थी श्री एम. के. सोंधिया की दशा शोचनीय थी और कम्पाउन्डर ने पंखा आदि चालू कर दिया था तथा उसे सूचित कर कि उक्त विद्यार्थी को पेन्सलीन के अन्तःक्षेपण की प्रतिक्रिया हुई है, डाक्टर कपूर को बुला लाने हेतु आग्रह किया. साक्षी का कथन है कि वह तत्काल ही डाक्टर कपूर को बुलाने गया और अपने स्कूटर पर ही डाक्टर कपूर को जो उस समय तक अपने बंगले तक ही पहुचे थे, बिठाकर औषधालय ले आया. ड्रेसर आबिदअली का कथन शासन पक्ष की ओर से कराया गया है जो यह प्रतिपादित करता है कि कम्पाउन्डर मोहम्मद फराहिम

ने पेन्सलीन ग्रन्तःक्षेपण हेतु परीक्षात्मक ग्रन्तःक्षेपण ही विद्यार्थी श्री एम. के. सोंधिया को लगाया था जिसकी प्रतिक्रिया हुई तो कम्पा उन्डर ने उसे " Avil " का ग्रन्तःक्षेपण दिया ग्रौर प्रोफेसर रमेशचन्द सक्सेना को डाक्टर श्री कपूर को बुलाने हेतु ग्राग्रह किया. श्री माधव खरे, श्री ग्रमरसिंह एवं श्री रामप्रसाद भार्गव के कथन डाक्टर श्री कपूर की ग्रोर से कराये गये हैं ग्रौर उक्त साक्षीगण भी यह कथन करने में सहमत हैं कि कम्पाउन्डर श्री फराहिम ने केवल परीक्षण मात्रा ही विद्यार्थी श्री एम. के. सोंधिया को लगाई थी ग्रौर उक्त परीक्षात्मक ग्रन्तःक्षेपण की प्रतिक्रिया होने पर प्रतिक्रिया निरोधक ग्रन्तःक्षेपण सौंधिया को लगाया तथा श्री डाक्टर कपूर को बुलवा भेजा. यह सही है कि कम्पाउन्डर रामप्रसाद भार्गव की उपस्थिति में कम्पा-उन्डर मोहम्मद फराहिम ने प्रतिक्रिया निरोधक ग्रन्तःक्षेपण नहीं लगाया जैसा कि साक्षी ग्रपने कूट परीक्षण में स्वीकार करता है किन्तु साक्षी जैसे ही कम्पाउन्डर फराहिम के कमरे में पहुंचा है वैसे ही कम्पाउन्डर श्री मोहम्मद फराहिम ने उसे सूचित किया है कि उसने उक्त विद्यार्थी को प्रतिक्रिया निरोधक ग्रन्तःक्षेपण लगा दिया है. साक्ष्य की उक्त पृष्ठभूमि में कम्पाउन्डर मोहम्मद फराहिम (साक्षी क्रमांक 7) के इस कथन को ग्रविश्वसनीय मानने का कोई कारण नहीं कि उसने एम.के. सौंधिया को परीक्षात्मक ग्रन्तः-क्षेपण हेतु ही परीक्षण मात्रा लगाई थी ग्रौर उक्त परीक्षण मात्रा की ही प्रतिक्रिया होने पर उसने "Avil" का ग्रन्तःक्षेपण श्री एम. के. सौंधिया को दिया ग्रौर तत्काल ही डाक्टर सक्सेना से ग्राग्रह कर डाक्टर कपूर को बुला भेजा जो 5 मिनिट के ग्रन्दर ही ग्रौषधालय ग्रा गये जैसा कि साक्षीगण श्री रमेशचन्द सक्सेना, श्री रामप्रसाद भार्गव, श्री माधव खरे (साक्षी क्रमांक 21) श्री ग्रमरसिंह के कथनों से भी स्पष्ट है. साक्ष्य की उक्त पृष्ठभूमि में कम्पाउन्डर मोहम्मद फराहिम को ग्रपने कर्त्तव्य के प्रति किसी ग्रसावधानी का दोषी निर्णित नहीं किया जा सकता.

(29) उक्त निराकरण के पश्चात् विचारणीय प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या विद्यार्थी को ग्रन्तःक्षेपण की प्रतिक्रिया होने की सूचना प्राप्ति के पश्चात् डाक्टर कपूर ने तत्संबंध में कोई उपेक्षा वर्ती ? श्री एम. के. सौंधिया को पेन्सलीन ग्रन्तःक्षेपण की प्रतिक्रिया होने की सूचना डाक्टर रमेशचन्द सक्सेना (साक्षी क्रमांक 16) द्वारा डाक्टर कपूर को उस समय दी गई जब कि वह ग्रौषधालय से वापिस ग्रपने बंगले की ग्रोर लौट रहे थे. प्रोफेसर सक्सेना ग्रौर डाक्टर कपूर की साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट है कि जैसे ही डाक्टर कपूर को प्रोफेसर सक्सेना ने उक्त सूचना दी वैसे ही डाक्टर कपूर मार्ग से ही लौटकर प्रोफेसर सक्सेना के स्कूटर पर ही ग्रौषधालय ग्रा गये ग्रौर इस प्रकार पेन्सलीन ग्रन्तःक्षेपण की प्रतिक्रिया होने के पश्चात् 5 मिनिट की ग्रवधि में ही डाक्टर कपूर उक्त रोगी के निकट उपलब्ध थे. डाक्टर कपूर को ग्राने में कोई विलम्ब नहीं हुग्रा इस तथ्य का समर्थन श्री मोहम्मद फराहिम (साक्षी क्रमांक 7, चरण क्रमांक 2 एवं 7) श्री ग्रमरसिंह (साक्षी क्रमांक 15, चरण क्रमांक 3.) श्री रामप्रसाद भार्गव (साक्षी क्रमांक 20, चरण क्रमांक 7) श्री माधव खरे (साक्षी क्रमांक 21, चरण क्रमांक 2) की साक्ष्य से भी होता है ग्रतः पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की उक्त पृष्ठभूमि में डाक्टर कपूर के विरुद्ध इस ग्राक्षेप हेतु कोई ग्राधार नहीं कि उन्होंने प्रतिक्रिया की सूचना प्राप्ति पर रोगी के निकट ग्राने में कोई विलम्ब किया.

(30) डाक्टर श्री यशवन्तसिंह कपूर (साक्षी क्र. 19) का कथन रहा है कि जब वह ग्रौषधालय ग्राया ग्रौर उसने एम. के. सोंधिया का परीक्षण किया तो उसकी श्वांस धीमी चल रही थी ग्रौर हृदय की धड़कन भी ग्रपेक्षाकृत शिथिल थी. साक्षी का कथन रहा है कि कम्पाउन्डर ने उसे सूचित किया था कि सौंधिया को पेन्सलीन के ग्रन्तःक्षेपण की प्रतिक्रिया हुई है ग्रौर उसने सौंधिया को प्रतिक्रिया निरोधक ग्रन्तः-क्षेपण लगा दिया है. डाक्टर कपूर का कथन है कि उसने "Decadron" "Coramine" एवं "Adrenelene" के ग्रन्तःक्षेपण के संबंध में कम्पाउन्डर से पूछा ग्रौर जब कम्पाउन्डर ने "Decadron" ग्रन्तःक्षेपण का ग्रौषधालय में उपलब्ध होना सूचित किया तो उसने कम्पाउन्डर को तत्काल "Decadron" का ग्रन्तःक्षेपण तैयार करने हेतु निर्देशित किया ग्रौर स्वयं मुंह से मुंह लगाकर विद्यार्थी सोंधिया को कृत्रिम सांस देने की प्रक्रिया ग्रारम्भ की. डाक्टर का कथन रहा है कि श्री ग्राबिदग्रली ने "Decadron" का ग्रन्तःक्षेपण तैयार किया जो स्वयं उसने विद्यार्थी सौंधिया को लगाया ग्रौर मुंह से मुंह लगाकर सांस देने की प्रक्रिया चालू रखी किन्तु जब सौंधिया की दशा में कोई विशेष सुधार नहीं हुग्रा तो उसने शीघ्र ही गाड़ी लाने हेतु श्री माधव खरे ग्रादि उपस्थित व्यक्तियों को निर्देशित किया. डाक्टर का कथन है कि गाड़ी ग्राने

पर बिना किसी विलम्ब के वह श्री सौंधिया को लेकर लगभग 8 मिनिट के अन्दर ही 1250 चिकित्सालय पहुंच गया जहां डाक्टर दास ने श्री सौंधिया का परीक्षण कर एक अन्तःक्षेपण "Adren elene" अथवा "coramine" का और लगाया तथा सिविल सर्जन डाक्टर राजन को बुलाया. डाक्टर कपूर का कथन रहा है कि रोगी विद्यार्थी को महाविद्यालय औषधालय से 1250 चिकित्सालय लाने तक वह बराबर मुंह से मुंह पद्धति द्वारा सांस की प्रक्रिया चालू रखे रहा और 1250 चिकित्सालय में भी कृत्रिम सांस चालू रखी गई तथा डाक्टर श्री राजन ने भी "Adrenelene" का एक अन्तःक्षेपण विद्यार्थी श्री सौंधिया के हृदय में सीधा लगाया किन्तु 15–20 मिनिट तक कृत्रिम सांस की प्रक्रिया चालू रखने उपरान्त भी सौंधिया के प्राणों की रक्षा नहीं की जा सकी. डाक्टर कपूर की इस साक्ष्य के विरुद्ध हमारे समक्ष तीन आक्षेप किये गये हैं. प्रथम आक्षेप यह है कि डाक्टर कपूर का कथन ही स्वयं में विश्वसनीय नहीं और यह कहना ही असत्य है कि उसने "Decadron" का कोई अन्तःक्षेपण सौंधिया को लगाया अथवा कृत्रिम सांस की कोई प्रक्रिया की. द्वितीय आक्षेप यह है कि यदि डाक्टर कपूर द्वारा किये गये उपचार सिद्ध भी निर्णित हो तो उक्त उपचार स्वयं में ही उचित उपचार नहीं था. तृतीय आक्षेप यह है कि डाक्टर कपूर ने सौंधिया जैसे गंभीर रोगी को महाविद्यालय औषधालय से 1250 चिकित्सालय ले जाने का निर्णय कर त्रुटि की और रोगी के उक्त स्थानान्तरण (Shifting) में अनावश्यक विलम्ब किया तथा मार्ग में पर्याप्त सावधानी नहीं वर्ती अस्तु किसी भी दृष्टिकोण से देखने पर डाक्टर कपूर असावधानी का दोषी निर्णीत होता है. हम डाक्टर कपूर के विरुद्ध आरोपित उक्त किसी भी आक्षेप से स्वयं को सहमत होने में असमर्थ पाते हैं.

(31) डाक्टर कपूर ने "Decadron" का अन्तःक्षेपण श्री एम. के. सोंधिया को लगाया और बराबर मुंह से मुंह पद्धति द्वारा कृत्रिम सांस की प्रक्रिया को उस समय तक चालू रखा जब तक कि एम. के. सोंधिया को 1250 चिकित्सालय तक नहीं पहूंचा दिया गया, इस तथ्य के सम्बन्ध में हम डाक्टर कपूर द्वारा प्रतिपादित सकरात्मक (Positive) कथन को अविश्वसनीय मानने का कोई कारण नहीं पाते. केवल इस कारण कि यह डाक्टर कपूर का दुर्भाग्य रहा है कि उस रोगी को पेन्सलीन के अन्तःक्षेपण की प्रतिक्रिया हुई जिसे उसने पेन्सलीन का अन्तःक्षेपण निर्देशित किया था डाक्टर कपूर की साक्ष्य को एक अविश्वसनीय व्यक्ति की साक्ष्य निर्णीत नहीं की जा सकती विशेषकर तथ्यों की इस पृष्ठ भूमि में जब कि न तो डाक्टर कपूर की उक्त साक्ष्य का कोई विश्वसनीय खन्डन ही किसी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है और न ही स्वयं डाक्टर कपूर के उक्त कथन को कूट परीक्षण द्वारा सफलतापूर्वक कोई चुनौती ही दी जा सकी है. डाक्टर कपूर ने " Decadron " का अन्तःक्षेपण श्री एम. के. सोंधिया को लगाया और मुंह से मुंह पद्धति द्वारा कृत्रिम सांस की प्रक्रिया चालू रखी तत्सम्बन्ध में डाक्टर यशवन्त कपूर के कथन का समर्थन साक्षीगण श्री मोहम्मद फराहिम (साक्षी क्रमांक 7, चरण क्रमांक 3 एवं 7), श्री रामप्रसाद भार्गव (साक्षी क्रमांक 20, चरण क्रमांक 4), श्री माधव खरे (साक्षी क्रमांक 21, चरण क्रमांक 2 एवं 4) एवं श्री आविदअली (साक्षी क्रमांक 48, चरण क्रमांक 2 एवं 4) की साक्ष्य से भलीभांति होता है. कम्पाउन्डर मोहम्मद फराहिम, कम्पाउन्डर रामप्रसाद भार्गव और ड्रेसर आविदअली की साक्ष्य को केवल इस आधार पर शंका की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता कि यह वे व्यक्ति रहे हैं जो घटना के समय डाक्टर कपूर के अधिनस्थ कर्मचारी थे. वस्तुतः उक्त साक्षीगण की घटना के समय स्थल पर उपस्थित निर्विवाद है अतः उनकी साक्ष्य का विवेचन गुण-दोषों के आधार पर ही किया जाना एकमात्र विधिसंगत विकल्प है और केवल इस धारणा पर कि वे डाक्टर कपूर के अधिनस्थ कर्मचारी होकर उसमें अभिरुचित हो सकते हैं उनकी साक्ष्य को अविश्वसनीय निर्णित नहीं किया जा सकता. कम्पाउन्डर मोहम्मद फराहिम तो वस्तुतः स्वयं विद्यार्थी पक्ष का साक्षी था जिसको विद्यार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत न किये जाने पर ही हमारे द्वारा आयोग साक्षी के रूप में परीक्षण किया गया. ड्रेसर आविदअली का कथन स्वयं शासन पक्ष की ओर से कराया गया है जब कि डाक्टर कपूर द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण श्री माधव खरे एवं श्री रामप्रसाद भार्गव के कथनों को किसी भी पक्षकार द्वारा सफलतापूर्वक चुनौती नहीं दी जा सकी है. अस्तु उक्त साक्ष्य की पृष्ठभूमि में यह सिद्ध है कि डाक्टर कपूर ने महाविद्यालय औषधालय पहुंचते ही पेन्सलीन की गम्भीर प्रतिक्रिया के रोगी श्री सोंधिया का परीक्षण किया और उसे मुंह से मुंह पद्धति द्वारा कृत्रिम सांस दी एवं " Decadron " का अन्तःक्षेपण लगाया.

(32) विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या डाक्टर कपूर द्वारा दिया गया उक्त उपचार त्रुटिपूर्ण होकर उसकी असावधानी का द्योतक है ? हमारे मत में पेन्सलीन प्रतिक्रिया निरोधक अन्तःक्षेपण लगाये जाने के पश्चात् भी जब सोंधिया की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ और डाक्टर कपूर ने अपने परीक्षण में उसके हृदय की गति को शिथिल तथा सांस लेने में कठिनाई होना पाया तो उक्त स्थिति में डाक्टर कपूर द्वारा दिया गया " Decadron " का अन्तःक्षेपण एवं कृत्रिम सांस की प्रतिक्रिया ही वह एकमात्र उपचार था जो उक्त परिस्थिति में किसी भी डाक्टर द्वारा श्री एम. के. सोंधिया को दिया जाता. किसी भी दृष्टिकोण से देखने पर डाक्टर श्री कपूर द्वारा किया गया उपचार त्रुटिपूर्ण निर्णित नहीं होता. ऐसे रोगी को पहले " Adrenelene " दिया जाना चाहिये और तत्पश्चात् " Decadron " जैसा कि डाक्टर बी. के. दास (साक्षी क्रमांक 22, चरण क्रमांक 14) का कथन रहा है एक निर्विवाद चिकित्सा सिद्धांत नहीं. श्री डाक्टर बी. के. दास के उक्त कथन की पुष्टि में कोई भी चिकित्सा विज्ञान की निर्देष्ट पुस्तक (Medical Journal) हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं की जा सकी है. "Adrenelene" और "Decadron" दोनों ही प्रतिविष (Antidote) हैं और ऐसी स्थिति में यदि एक डाक्टर द्वारा "Adrenelene" न देते हुए " Decadron " दिया गया हो तो उसका अर्थ यह नहीं कि उक्त डाक्टर द्वारा चिकित्सा में कोई त्रुटि की गई है. वैसे भी " Decadron " प्रतिविष "Adrenelene" की अपेक्षा एक अधिक मूल्यवान एवं प्रभावशील अन्तःक्षेपण है और उक्त स्थिति में डाक्टर कपूर द्वारा महाविद्यालय औषधालय में उपलब्ध "Decadrone" अन्तःक्षेपण का उपयोग किया जाना किसी भी दृष्टिकोण से त्रुटिपूर्ण उपचार निर्णित नहीं होता. स्वयं सिविल सर्जन डाक्टर राजन (साक्षी क्रमांक 51, चरण क्रमांक 7) अपने कथन में स्वीकार करते है कि यदि डाक्टर श्री कपूर द्वारा "Decadron" का अन्तःक्षेपण एम. के. सोंधिया को लगाया गया था तो वह अपने आप में एक उचित उपचार था. तत्सम्बन्ध में "Pye's Surgical Handicraft by James Kyle" के पृष्ठ 30-31 का निम्न अंश विचारणीय है :–

"ANAPHYLACTIC SHOCK

Treatment is expectant and empiricial : a massive dose of hydrocortisone intravenously (200—300 Mg.) seems to give better results than adrenaline which was for long the main-stand by."

(33) डाक्टर कपूर द्वारा मुंह से मुंह पद्धति द्वारा जो कृत्रिम सांस की प्रक्रिया की गई है उसके सम्बन्ध में किया गया यह आक्षेप भी निराधार है कि उक्त प्रक्रिया के स्थान पर डाक्टर कपूर को आक्सीजन सिलेन्डर का उपयोग करना चाहिये था. डॉक्टर कपूर के इस कथन को कोई चुनौती नहीं दी गई है कि यदि उसके द्वारा आक्सीजन सिलेन्डर का उपयोग किया जाता तो उक्त सिलेन्डर को "Emergency ward" से लाने और रोगी को आक्सीजन देने की प्रक्रिया चालू करने में लगभग 20 मिनिट का समय कम से कम अवश्य लगता. वस्तुतः इस अवधि से कम अवधि में तो डाक्टर कपूर द्वारा रोगी सोंधिया को महाविद्यालय के औषधालय से 1250 के चिकित्सालय में स्थानान्तरित कर दिया गया था जहां रोगी की गहन सावधानी (Intensive Care) ली जा सकती थी अतः उक्त स्थिति में आक्सीजन सिलेन्डर के उपयोग के निर्णय करने की स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती थी. अन्यथा भी आक्सीजन सिलेन्डर की अपेक्षा मुंह से मुंह द्वारा की गई कृत्रिम सांस की प्रक्रिया एक अवांछनीय विकल्प नहीं था और यदि डाक्टर द्वारा कृत्रिम सांस की इस प्रक्रिया का उपयोग किया गया है तो उसके निर्णय को उसकी असावधानी का द्योतक नहीं कहा जा सकता वरन प्रकरण की परिस्थितियों में तो डाक्टर द्वारा दी गई कृत्रिम सांस की प्रणाली ही अधिक श्रेयस्कर थी. यह अभिमत भ्रांतीपूर्ण है कि आक्सीजन सिलेन्डर की प्राणवायु मुंह से मुंह की कृत्रिम स्वांस प्रणाली द्वारा दी गई प्राणवायु की अपेक्षा अधिक लाभदायक है. तत्सम्बन्ध में Pye's Surgical Handicraft, edited by James Kyle की पुस्तक का पृष्ठ 19, Diagnosis and

Management of Medical Emergency की पुस्तक का पृष्ठ 705 एवं Text Book of Medical Treatment by Derbic Dunlop की पुस्तक के पृष्ठ 930-931 के निम्न अंश विचारणीय हैं :—

PYE'S Surgical Handicraft edited by James Kyle 1969, *at page* 19.

"ARTIFICIAL RESPIRATION

Complex methods of externalartifical respiration have all been superseded by mouth-to-mouth breathing-Elisha's technique or as it is sometimes dramatically termed 'the kiss of life', Mouth-to-mouth breathing (including mouth-to-mask and mouth-to-tracheostomy opening) remains the most effective method of performing artificial respiration yet devised; there is evidence that in terms of maximum passive respiratory exchange mouth-to-mouth artificial respiration is superior to all other methods. Further-more, the method is simple to learn and to carry out; it requires no apparatus; because it is not nearly so tiring as manual methods of artificial respiration, mouth-to-mouth breathing can be continued for more than an hour by most operators; an inadequate Jaw-lift can be detected immediately by inability or difficulty in inflating the lungs; in no other method can the operator be sure that he is effecting respiratory exchange.

The unequivocal superiority of mouth-to-mouth over all varieties of manual artificial respiration is so compelling that in all parts of the world it is being adopted as the standard method."

Diogonosis and Management of Medical Emergencies by Rustom Jal Vakil and Farokh Earch Udwadia, 1972 *at page* 705.

"ARTIFICIAL RESPIRATION

This procedure is known to produce dramatic results and hence should be known not only to Doctors but also to all nurses and paramedical staff. There are various forms of artificial respiration, but the one most in vogue is mouth-to-mouth breathing, popularly known as 'the kiss of life'. It is an age-old procedure and is even described in the Bible. It can be used irrespective of the causes of cessation of respiration."

Text Book of Medical Treatment by Derbic Dunlop, 1964 *at page* 930—931.

"ARTIFICIAL RESPIRATION

Expired Air Resuscitation although frequently performed in babies, has not until recent years been widely used for the

resuscitation of adults. Aesthetics considerations have always tended to limit its application, but it is in fact better than any of the manual methods in regard to the pulmonary ventilation it can achieve.

The theoratical objection to expired air resuscitation, mainly that the patient is made to breathe air containing 4 to 5 per cent of carbon-dioxide (less if the operator is hyperventilating) does not appear to be of practical importance."

(34) इसी भांति डाक्टर कपूर का यह निर्णय भी उसकी असावधानी का द्योतक नहीं कि रोगी को महाविद्यालय औषधालय से 1250 के चिकित्सालय स्थानान्तरित किया जावे. पेन्सलीन अन्तःक्षेपण के फलस्वरूप हुई प्रतिक्रिया हेतु कम्पाउन्डर द्वारा प्रतिक्रिया निरोधक अन्तःक्षेपण दिया जा चुका था किन्तु रोगी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था. डाक्टर कपूर ने न केवल रोगी को कृत्रिम सांस द्वारा प्राणवायु देने की चेष्टा की वरन "Decadron" का अन्तःक्षेपण भी लगाया किन्तु रोगी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ. पेन्सलीन जहां एक ओर "औषधियों की रानी" के रूप में प्रसिद्ध है वहीं दूसरी ओर कतिपय रोगियों के लिये वह तत्काल प्राणघातक भी है. अतः उक्त स्थिति में जब कि एम. के. सोंधिया हेतु पेन्सलीन का प्राणघातक औषधि होना विदित हो गया था डाक्टर कपूर के लिये अन्य कोई विकल्प ही नहीं था कि वह महाविद्यालय औषधालय से रोगी को किसी वडे चिकित्सालय में जहां अधिक गहन सावधानी लेना सम्भव हो तत्काल स्थानान्तरित करे. रोगी को स्थानान्तरित करने में न तो कोई विलम्ब ही हुआ है और न ही तत्सम्बन्ध में डाक्टर कपूर द्वारा कोई असावधानी ही वर्ती गई है. 20 मिनिट से भी कम अवधि में रोगी को महाविद्यालय औषधालय से 1250 चिकित्सालय में स्थानान्तरित कर दिया गया और इस बीच डाक्टर कपूर ने बराबर मुंह से मुंह द्वारा कृत्रिम सांस की प्रक्रिया चालू रखी अतः इस आक्षेप हेतु कोई आधार नहीं कि डाक्टर कपूर ने कोई त्रुटिपूर्ण निर्णय किया अथवा अपने निर्णय के पालन में कोई असावधानी दर्शाई.

(35) उपरोक्त निराकरण के पश्चात् विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या 1250 चिकित्सालय में रोगी एम. के. सोंधिया के प्रति डाक्टर श्री बी. के. दास अथवा सिविल सर्जन डाक्टर राजन ने कोई उपेक्षा दर्शाई और क्या उनके द्वारा की गई असावधानी के परिणामस्वरूप श्री एम. के. सोंधिया की मृत्यु हुई ?

डा. बी. के. दास (साक्षी क्रमांक 22) का कथन रहा है कि शाम 7 बजकर 20 मिनिट पर डा. श्री कपूर विद्यार्थी सोंधिया को लेकर 1250 चिकित्सालय पर आये और चूंकि विद्यार्थी मृतप्रायः था अतः उसने उक्त विद्यार्थी को तत्काल प्राणवायु दी एवं " Coramine " का अन्तःक्षेपण दिया एवं "Cardia Message" दिया. डाक्टर का कथन रहा है कि उक्त उपचार का कोई प्रभाव सोंधिया पर नहीं हुआ और तभी उसकी सूचना पर शाम 7-25 पर सिविल सर्जन डा. राजन वहां आ गये जिनके निर्देश पर उसने " Adrenelene " का एक अन्तःक्षेपण सोंधिया को दिया तथा " Cardia Message " और कृत्रिम स्वांस क्रिया चालू रखी किन्तु जब 15-20 मिनिट के पश्चात् भी उक्त उपचार का कोई प्रभाव सोंधिया पर नहीं हुआ तो उन्होंने 7-45 पर सोंधिया को मृत घोषित किया. डाक्टर श्री राजन (साक्षी क्रमांक 51) का भी ऐसा ही कथन रहा है. डाक्टर कपूर (साक्षी क्रमांक 19) भी यह स्वीकार करता है कि डाक्टर - दास ने तत्काल " Coramine " का अन्तःक्षेपण सोंधिया को लगाया और डाक्टर राजन के आने पर पुनः " Adrenelene " का एक अन्तःक्षेपण सीधे हृदय में लगाया एवं कृत्रिम सांस की प्रक्रिया चालू रखी किन्तु सोंधिया ने उक्त उपचार का कोई आशाजनक प्रत्युत्तर (response) नहीं दिया. कम्पाउन्डर भगवानसिंह (साक्षी क्रमांक 23) भी 1250 अस्पताल में किये गये उक्त उपचार की पुष्टि करता है. इस चिकित्सालय में किये गये उपचार के सम्बन्ध में किसी भी पक्षकार का डाक्टर दास अथवा डाक्टर राजन के विरुद्ध यह आक्षेप नहीं कि उन्होंने उपचार में कोई विलम्ब किया अथवा उनके द्वारा किया गया उपचार किसी प्रकार त्रुटिपूर्ण था. श्री जिनेन्द्रकुमार जैन (साक्षी क्रमांक 2, चरण क्रमांक

2 व 3) ने यह प्रतिपादित किया है कि रात जब वह 1250 के चिकित्सालय पर पहुंचा और उसने मृतक सोंधिया की लाश देखी तो वहां ड्रेसिंग टेबिल के नीचे रद्दी कागजों की टोकरी में उसे "Adrenelene" की दो खाली शीशियां मिलीं जिन पर अवसन्न तिथि (Expiry date) अगस्त सन् 70 की थी और चूंकि डाक्टर दास के औषधिपत्र में उक्त औषधि को सोंधिया को देने का उल्लेख था अतः उसका अनुमान है कि अवसन्न तिथि (Expiry date) का ही "Adrenelene" सोंधिया को डाक्टर दास द्वारा दिया गया. साक्षी का कथन रहा है कि उक्त खाली शीशियां उसने पुलिस उपनिरीक्षक भीमसिंह को दिखादी थीं और एक पैकिट में रखकर विद्यार्थी परिषद के सचिव को दे दी थीं क्योंकि पुलिस ने उक्त शीशियां उसके आग्रह उपरान्त भी असेधित नहीं कीं. श्री बालकृष्ण सक्सेना (साक्षी क्रमांक 3, चरण क्रमांक 7 एवं 16) इस तथ्य के सम्बन्ध में तो अवश्य श्री जिनेन्द्रकुमार जैन के कथन का समर्थन करता है कि जब पुलिस ने आग्रह करने उपरान्त भी खाली शीशियां असेधित नहीं की तो उन्होंने खाली "Ampulse" उठाकर एक विद्यार्थी को दिये किन्तु उक्त "एम्पुल्स" अवसन्न तिथि के थे तत्सम्बन्ध में साक्षी कोई निश्चयात्मक कथन नहीं कर सका है. पुलिस उपनिरीक्षक भीमसिंह (साक्षी क्रमांक 42) इस तथ्य से निषेध करता है कि श्री जिनेन्द्रकुमार जैन ने उसे कोई खाली एम्पुल्स दिये अथवा असेधित करने हेतु आग्रह किया. प्राचार्य शान्तीलाल सोलंकी (साक्षी क्रमांक 12) की उपस्थिति उस समय वहां होना श्री बालकृष्ण सक्सेना स्वीकार करता है किन्तु श्री सोलंकी साक्षीगण श्री जिनेन्द्रकुमार जैन एवं बालकृष्ण सक्सेना के उक्त कथन का समर्थन नहीं करते. वस्तुतः यदि अवसन्न तिथि के खाली एम्पुल्स स्थल पर होते तो कोई कारण नहीं कि श्री जिनेन्द्र कुमार जैन के आग्रह पर पुलिस उपनिरीक्षक भीमसिंह ने उन्हें असैधित न किया होता. यदि पुलिस द्वारा उक्त एम्पुल्स असेधित नहीं भी किये गये होते तो श्री जिनेन्द्रकुमार जैन अथवा अन्य कोई विद्यार्थी उक्त एम्पुल्स को सहज ही आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने की स्थिति में होता विशेषकर इस स्थिति में जबकि स्वयं श्री जिनेन्द्रकुमार जैन के कथनानुसार उक्त एम्पुल्स एक पैकिट में रखकर विद्यार्थी परिषद के सचिव को दे दिये गये थे. खाली " Ampules " विद्यार्थी पक्ष की ओर से अथवा श्री जिनेन्द्रकुमार एवं श्री बालकृष्ण सक्सेना द्वारा प्रस्तुत न किया जाना इस तथ्य का द्योतक है कि श्री जिनेन्द्रकुमार जैन का यह कथन विश्वसनीय नहीं कि उन्होंने " Adrenelene " के ऐसे कोई खाली एम्पुल्स जो अवसन्न तिथि के थे, स्थल से असेधित किये. अस्तु डाक्टर श्री बी. के. दास के विरुद्ध इस आक्षेप हेतु कोई विश्वसनीय आधार प्रकरण में नहीं जिस पर यह निर्णय दिया जा सके कि उक्त डाक्टर द्वारा अवसन्न तिथि के "Adrenelene" उपयोग में लाये गये. सिविल सर्जन डाक्टर राजन (साक्षी क्रमांक 51) का यह कथन स्वभाविक प्रतीत होता है कि " Adrenelene " एक साधारण से मूल्य की औषधि है और यह स्वाभाविक ही नहीं कि इस प्रकार की औषधि अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी 1250 चिकित्सालय में उपयोग में लाई जावे. डाक्टर श्री बी. के. दास (साक्षी क्रमांक 22) और कम्पाउन्डर भगवानसिंह (साक्षी क्रमांक 23) इस तथ्य का दृढ़तापूर्वक खन्डन करते हैं कि उनके द्वारा उपयोग किया गया " Adrenelene " अवसन्न तिथि का था. साक्षीगण के उक्त कथन को कूट परीक्षण द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है. वैसे भी अवसन्न तिथि का एड्रालीन बिल्कुल ही निरर्थक नहीं हो जाता, अधिक से अधिक ऐसी औषधि की प्रभाव शक्ति थोड़ी क्षीण हो जाती है जैसा कि डाक्टर राजन का कथन रहा है. अतः यदि अवसन्न तिथि का " Adrenelene " उपयोग भी किया गया है तो उक्त औषधि एम. के. सोंधिया की मृत्यु का कारण नहीं बनी है. श्री एम. के. सोंधिया पर पेन्सलीन की घातक प्रतिक्रिया हो चुकी थी और तत्सम्बन्ध में प्रतिक्रिया निरोधक अन्तःक्षेपण एवं जीवन चुम्बन (Kiss of life) की कृत्रिम सांस प्रक्रिया भी सोंधिया पर प्रभावहीन रहा थी अतः 1250 चिकित्सालय के डाक्टर बी. के. दास एवं डाक्टर राजन सोंधिया के उपचार में किसी असावधानी के दोषी निर्णीत नहीं किये जा सकते.

(36) उक्त विवेचन के प्रकाश में हमारे मत में श्री एम. के. सोंधिया की मृत्यु पेन्सलीन के अन्तःक्षेपण की प्रतिक्रिया का दुखद परिणाम ही थी और तत्सम्बन्ध में डाक्टर कपूर अथवा डाक्टर श्री बी. के. दास अथवा उपचार से संबंधित अन्य किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी निर्णित करना न्यायसंगत नहीं. वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति ने यथोचित रूप से अपने कर्त्तव्य का पालन किया है और श्री एम. के. सोंधिया के प्रति कोई असावधानी अथवा उपेक्षा हमारे प्रतिवेदन के चरण नं. 29 में डाक्टर कपूर द्वारा दर्शाई उपेक्षा के अतिरिक्त, नही दर्शाई है. यह उपचार से संबंधित व्यक्तियों का दुर्भाग्य रहा है कि वे अपने उपचार में

असफल रहे और यह श्री एम. के. सोंधिया के सम्बन्धी एवं हितैषियों का दुर्भाग्य है कि श्री एम. के. सोंधिया पेन्सलीन की प्रतिक्र्या का शिकार होकर कालकवलित हुआ और वह औषधि, जो वर्तमान युग में चिकित्सा जगत का वरदान होकर औषधियों की रानी कहलाती है, श्री एम. के. सोंधिया के लिये अभिशाप होकर प्राण-घातक सिद्ध हुई. रोगी का उक्त दुर्भाग्य उपचारकर्ता के दुर्भाग्य में परिणित करना इस जांच आयोग का लक्ष्य नहीं.

क्या पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया ? यदि हां, तो किसके आदेश पर और किन परिस्थितियों में—

(37) उपरोक्त निराकरण के पश्चात् हम अपना ध्यान इस ओर केन्द्रित करते हैं कि क्या घटना रात्रि को चिकित्सालय प्रांगण में आरक्षक बल द्वारा विद्यार्थियों के विरुद्ध बल प्रयोग किया गया और क्या उक्त बल प्रयोग दण्डाधिकारी के आदेश पर किया गया जो घटना की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उचित था अथवा क्या आरक्षक बल द्वारा किया गया बल प्रयोग अत्याधिक था ?

आरक्षक बल हेतु बल प्रयोग करने का कोई स्पष्ट आदेश स्थल पर उपस्थित अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री पी. एस. त्रिवेदी (साक्षी क्रमांक 28) द्वारा नहीं दिया गया है जैसा कि स्वयं उनका कथन रहा है. श्री त्रिवेदी का कथन रहा है कि जब विद्यार्थियों का समूह तितर बितर नहीं हुआ तो उन्होंने मण्डल अधीक्षक श्री खन्ना को निर्देशित किया कि वह विद्यार्थियों को वहां से भगायें. श्री त्रिवेदी का कथन रहा है कि उसने आरक्षक दल को लाठीचार्ज करने का कोई आदेश नहीं दिया हालांकि परिस्थिति लाठी चार्ज हेतु विकसित हो गई थी, उसने तो पुलिस को केवल क्रियाशील किया. कूट परीक्षण में श्री त्रिवेदी का पुनः कथन रहा है कि उन्होंने पुलिस को विद्यार्थियों को भगाने और तितर बितर करने का आदेश दिया, लाठी प्रहार का कोई आदेश उन्होंने पुलिस को नहीं दिया. मण्डल अधीक्षक पुलिस श्री जगमोहन खन्ना (साक्षी क्रमांक 29) का भी कथन रहा है कि जब लड़के बाज नहीं आये तो ए. डी. एम. ने उसे आदेशित किया कि वह लड़कों को भगाये. अपने कूट परीक्षण में साक्षी का कथन रहा है ए. डी. एम. ने पुलिस को केवल लड़कों की भीड़ हटाने हेतु निर्देशित किया था, लाठी चार्ज का कोई आदेश नहीं दिया, भीड़ किस प्रकार हटाई जाये यह निर्णय तो स्वयं आरक्षक बल के स्वविवेक पर निर्भर था. पुलिस उपनिरीक्षक श्री एम. पी. मेहता (साक्षी क्रमांक 52) का भी कथन रहा है कि अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री त्रिवेदी ने श्री खन्ना को केवल यह आदेश दिया था कि वह विद्यार्थियों को भगाये, लाठी चार्ज का कोई आदेश नहीं दिया. नगर पुलिस अधीक्षक श्री वी. एल. पंडित (साक्षी क्रमांक 27) का भी कथन रहा है कि श्री त्रिवेदी ने पुलिस को केवल विद्यार्थियों की भीड़ चिकित्सालय प्रांगणके बाहर भगाने हेतु आदेशित किया था, लाठी चार्ज का कोई आदेश नहीं दिया. श्री रमेशकुमार सिंघई (साक्षी क्रमांक 4) का कथन रहा है कि अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री त्रिवेदी स्थल पर उपस्थित थे जबकि पुलिस ने बिना किसी पूर्व सूचना के विद्यार्थियों के विरुद्ध एकदम लाठी चार्ज किया किन्तु लाठी चार्ज हेतु श्री त्रिवेदी ने कोई आदेश दिया या नहीं इस संबंध में साक्षी कोई कथन नहीं करता है. विद्यार्थी श्री पी. के. अग्रवाल (साक्षी क्रमांक 6) का यह कथन कि अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री त्रिवेदी ने पुलिस को यह आदेश दिया था कि वह विद्यार्थियों की टांगे तोड़ दे और उन्हें जान से मार दे वस्तुतः तथ्यों के विपरीत अविश्वसनीय कथन है जो एक असन्तुष्ट विद्यार्थी द्वारा शासन के अधिकारी के प्रति उसकी मनोवृत्ति का परिचायक मात्र है जिसका आधार सत्य पर आधारित न होकर उसकी विद्रोही मनोवृत्ति पर अधिक आधारित है. घटना के समय स्थल पर उपस्थित असिस्टेन्ट प्रोफेसर श्री एस. के. बोस (साक्षी क्रमांक 11) एवं असिस्टेन्ट प्रोफेसर श्री विश्वनाथन (साक्षी क्रमांक 14) पुलिस द्वारा विद्यार्थी के विरुद्ध लाठी प्रहार के सम्बन्ध में तो अवश्य कथन करते हैं किन्तु ऐसा निरूपित नहीं करते कि उक्त लाठी प्रहार हेतु अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा कोई आदेश पुलिस को दिया गया. प्राचार्य श्री शांतीलाल सोलंकी (साक्षी क्रमांक 12) का तो कथन रहा है कि पुलिस ने अतिरिक्त जिला दन्डाधिकारी श्री त्रिवेदी के आने के पूर्व ही विद्यार्थियों के विरुद्ध लाठी चार्ज आरम्भ कर दिया था. कूट परीक्षण में श्री सोलंकी अतिरिक्त जिला दन्डाधिकारी श्री त्रिवेदी के विरुद्ध यह अवश्य प्रतिपादित करते हैं कि वह विद्यार्थियों के सम्बन्ध में पुलिस को कहते थे कि "सालों को पकड़ो और मारो." प्राचार्य का यह कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता कि अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री त्रिवेदी पुलिस को इस प्रकार निर्देशित कर रहे हों "मारो सालों को." प्राचार्य का उक्त कथन वस्तुतः उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक विवरण एवं शपथ पत्र से परे,

रहा है. ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचार्य श्री सोलंकी साक्ष्य स्टेज पर कतिपय कारणों से विद्यार्थी वर्ग के विरुद्ध कोई भी कथन करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं. अन्य कोई साक्षी तत्सम्बन्ध में कोई कथन नहीं करता है अतः साक्ष्य के उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि दंडाधिकारी द्वारा पुलिस को बल प्रयोग करने का अथवा लाठी चार्ज करने का कोई आदेश नहीं दिया गया था और ऐसी स्थिति में यदि पुलिस द्वारा कोई बल प्रयोग विद्यार्थियों के विरुद्ध किया गया है तो उसका उत्तरदायित्व पुलिस पर ही है, वह बलप्रयोग हेतु दण्डाधिकारी के आदेश का प्रश्रय प्राप्त नहीं कर सकती. यह अवश्य सिद्ध है कि श्री त्रिवेदी ने पुलिस को निर्देशित किया था कि वह विद्यार्थी समूह को चिकित्सालय प्रांगण से बाहर भगाये.

(38) विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या पुलिस ने विद्यार्थियों के समूह को भगाने हेतु बल प्रयोग किया और क्या पुलिस द्वारा किया गया बल प्रयोग उचित था? नगर पुलिस अधीक्षक श्री बी. एल. पंडित (साक्षी क्रमांक 27), अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री त्रिवेदी (साक्षी क्रमांक 28), मंडल अधीक्षक श्री जगमोहन खन्ना (साक्षी क्रमांक 29), पुलिस उपनिरीक्षक श्री डी. एस. कटयारे (साक्षी क्रमांक 38), पुलिस उप निरीक्षक श्री भीमसिंह (साक्षी क्रमांक 42), पुलिस उपनिरीक्षक श्री अनिल पिंगे (साक्षी क्रमांक 43) और पुलिस उपनिरीक्षक श्री एस. पी. मेहता (साक्षी क्रमांक 52) के कथनों का सारांश रहा है कि आरक्षक दल द्वारा वस्तुतः कोई बल प्रयोग ही विद्यार्थियों के विरुद्ध नहीं किया गया वरन आरक्षक दल ने तो केवल विद्यार्थियों को चिकित्सालय प्रांगण से भगाने के अभिप्रायः से मात्र बल प्रदर्शन किया अर्थात् अपने हाथ के बेंत जमीन पर ठोंके और चिकित्सालय प्रांगण के बाहर भगाने के अभिप्राय से विद्यार्थियों का पीछा किया. भागते हुए विद्यार्थी जमीन पर गिरे और फिर उठकर भागे अतः विद्यार्थियों को जो भी चोटें आई हैं उनका कारण यह ही रहा है, पुलिस द्वारा किया गया तथाकथित बल प्रयोग नहीं. बल प्रयोग हेतु औचित्य था या नहीं इसका निराकरण तो हम आगामी विवेचन में करेंगे किन्तु शासन द्वारा प्रस्तुत उक्त साक्षीगण के इस कथन को पूर्ण सत्य स्वीकार करने में हमें संकोच है कि आरक्षक दल द्वारा कोई बल प्रयोग ही विद्यार्थियों के विरुद्ध नहीं किया गया. वस्तुतः उक्त तथ्य सम्भावनाओं के विरुद्ध भी रहा है क्योंकि हमारे मत में चिकित्सालय प्रांगण में लगभग 300 की संख्या में विद्यार्थियों का समूह एकत्रित हो गया था जो न केवल डाक्टर कपूर एवं पुलिस के विरुद्ध दुराग्रही था वरन् उत्तेजित होकर हिंसा पर उतारू था. विद्यार्थियों के ऐसे समूह को बिना किसी बल प्रयोग के तितर बितर किया जाना एक ऐसा तथ्य है जो संभावनाओं के विपरीत है अतः स्पष्ट ही शासन पक्ष द्वारा प्रस्तुत उक्त अधिकारियों के कथन पूर्ण सत्य स्वीकार किये जाने योग्य नहीं और यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित है कि उन्होंने पुलिस द्वारा किये गये बलप्रयोग को यथासम्भव सूक्ष्मतम रूप से हमारे समक्ष वर्णित किया है.

(39) विद्यार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत विद्यार्थीगण श्री रमेश कुमार सिंघई (साक्षी क्रमांक 4, चरण क्रमांक 3), श्री विनोद कुमार (साक्षी क्रमांक 5, चरण क्रमांक 1), श्री पी. के. अग्रवाल, (साक्षी क्रमांक 6, चरण क्रमांक 1), श्री एन. सी. जैन (साक्षी क्रमांक 9, चरण क्रमांक 1 एवं 5), एवं श्री राजीव सक्सेना (साक्षी क्रमांक 10, चरण क्रमांक 1) और प्राचार्य पक्ष की ओर से प्रस्तुत असिस्टेन्ट प्रोफेसर श्री एस. के. बोस (साक्षी क्रमांक 11, चरण क्रमांक 5), प्राचार्य श्री शान्तीलाल सोलंकी (साक्षी क्रमांक 12, चरण क्रमांक 6), प्राध्यापक श्री नागराजन (साक्षी क्रमांक 13, चरण क्रमांक 2, 3, 4), सहायक प्राध्यापक श्री विश्वनाथन (साक्षी क्रमांक 14, चरण क्रमांक 4) व्याख्याता डाक्टर श्री रमेश चन्द सक्सेना, (साक्षी क्रमांक 16, चरण क्रमांक 2), प्राध्यापक श्री आर. श्रीधरन (साक्षी क्रमांक 17, चरण क्रमांक 2 व 3) एवं विद्यार्थी दीपकवामन जोशी (साक्षी क्रमांक 18, चरण क्रमांक 2 एवं 8) के कथनों का सारांश रहा है कि आरक्षक दल ने बिना किसी पूर्व सूचना के विद्यार्थी समूह पर लाठी चार्ज किया और भागते हुये विद्यार्थियों का उन्हें मारते हुये पीछा किया जब कि विद्यार्थी वर्ग उत्तेजित नहीं था वरन् केवल इस जिज्ञासावश स्थल पर उपस्थित था कि उन्हें उनके सहपाठी श्री एम. के. सोंधिया की मृत्यु के कारणों से अवगत कराया जाये. साक्षीगण का कथन रहा है कि दण्डाधिकारी एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने आरक्षक दल द्वारा किये गये अंधाधुन्ध लाठी चार्ज को न रोकते हुये उन्हें विद्यार्थियों के मारने हेतु ही प्रोत्साहित किया और आरक्षक दल द्वारा विवेकहीन (Indiscriminately) ढ़ग से बल प्रयोग किया गया जिसका कोई औचित्य नहीं था जबकि विद्यार्थी वर्ग पूर्णतया शान्त था. घटना की

पृष्ठभूमि क्या रही है; विद्यार्थी वर्ग का आचरण क्या था और आरक्षक दल द्वारा किया गया बल प्रयोग अत्याधिक था अथवा नहीं इसका निराकरण तो हम आगामी चरणों में करेंगे किन्तु विद्यार्थी वर्ग एवं प्राचार्य पक्ष द्वारा प्रस्तुत उक्त साक्षीगण के कथनों से एक तथ्य स्पष्ट है कि उनके कथन भी अस्वाभाविक एवं कृत्रिम रहे हैं जो पूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं क्योंकि उनके द्वारा घटना का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है. आरक्षक दल द्वारा बल प्रयोग अवश्य किया गया है किन्तु उक्त बल प्रयोग के सम्बन्ध में यह आक्षेप सत्य नहीं कि वह शान्त विद्यार्थियों के विरुद्ध किया गया है तथा विवेकहीन ढंग से अथवा प्रतिवैर (Vengeance) की भावना से प्रेरित होकर किया गया था जैसा कि इन साक्षीगण ने प्रतिपादित करने की चेष्टा की है.

(40) घटना में जिन व्यक्तियों को चोटें आई थीं उनका डाक्टरी परीक्षण डाक्टर दीवान (साक्षी क्रमांक 24) द्वारा किया गया था और उसने तत्सम्बन्ध में आहत व्यक्तियों के परीक्षण उपरान्त अपने प्रतिवेदन एस. 3 लगायत एस. 13 दिये थे जो साक्षी के कथन से सिद्ध हैं. उक्त आहत व्यक्तियों में से केवल साक्षीगण श्री निर्मल चन्द जैन (साक्षी क्रमांक 9) एवं श्री राजीव सक्सेना (साक्षी क्रमांक 10) वे साक्षी रहे हैं जिन्हें विद्यार्थी वर्ग एवं प्राचार्य पक्ष की ओर से उनके द्वारा प्रतिपादित पुलिस द्वारा किये गये बल प्रयोग को सिद्ध करने हेतु प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त पक्षों द्वारा प्रस्तुत अन्य किसी भी साक्षी का कोई डाक्टरी परीक्षण नहीं हुआ है अतः अन्य साक्षीगण द्वारा प्रतिपादित इस तथ्य की कोई पुष्टी नहीं होती कि उन्हें भी पुलिस द्वारा किये गये बल प्रयोग के फलस्वरूप कोई चोटें आई थीं. वस्तुतः यदि प्राध्यापक वर्ग अथवा विद्यार्थी वर्ग के किसी व्यक्ति को घटना के फलस्वरूप चोटें आई होतीं तो उसने अपना डाक्टरी परीक्षण अवश्य ही कराया होता. डाक्टरी परीक्षण न कराया जाना इस तथ्य का द्योतक है कि या तो अन्य व्यक्तियों को कोई चोटें आई ही नहीं थीं अथवा उनको आई हुई चोटें इतनी नगण्य थीं जिसके सम्बन्ध में उपचार कराना उक्त व्यक्तियों ने आवश्यक ही नहीं समझा. उक्त अनुमान अनुमानित करना इस कारण भी न्यायसंगत है कि घटना के फलस्वरूप चोटें आये हुए अन्य आहत व्यक्तियों ने अपना परीक्षण कराया था. विद्यार्थी श्री राजीव कुमार सक्सेना के सम्बन्ध में डाक्टर दीवान का कथन रहा है कि उसे कोई ऊपरी चोट नहीं थी वरन वह केवल टांग में दर्द की शिकायत करता था. श्री निर्मल जैन के सम्बन्ध में डाक्टर का कथन रहा है कि उसके सिर में एक (Lacerated wound) था जो गिरने के फलस्वरूप आना सम्भव था. विद्यार्थी निर्मल चन्द जैन (साक्षी क्रमांक 9) का कथन रहा है कि वह बस में बैठा था कि उक्त बस को पुलिस वालों ने घेर लिया, डन्डे मारकर बस के कांच तोड़ दिये और बस में बैठे विद्यार्थियों को डन्डे मारे जिसके फलस्वरूप उसके सिर में चोटें आई. वस्तुतः यदि विद्यार्थी बस में बैठा था तो पुलिस द्वारा डन्डे के प्रहार से उसको सिर में इस प्रकार की चोट आना एक स्वाभाविक स्थिति नहीं है जैसा कि साक्षी के कूट परीक्षण से भी स्पष्ट है. अन्य कोई विद्यार्थी निर्मलचन्द जैन के उक्त कथन का समर्थन नहीं करता है. श्री निर्मल चन्द जैन की साक्ष्य को यदि पूर्ण सत्य स्वीकार भी किया जावे तो स्थिति यह ही प्रतीत होती है कि पुलिस वाले भीड़ तितर बितर करने हेतु लाठी चार्ज कर रहे थे और उक्त लाठी चार्ज में उसके सिर में चोट आई. अन्य किसी विद्यार्थी अथवा प्राध्यापक को चोट आना सिद्ध नहीं जबकि इसके विपरीत पुलिस उपनिरीक्षक श्री कटियारे (साक्षी क्रमांक 38), पुलिस उपनिरीक्षक श्री अनिलपिंगे (साक्षी क्रमांक 44) एवं पुलिस उपनिरीक्षक श्री एम. पी. मेहता (साक्षी क्रमांक 52) के शरीर पर चोटें आना तथा आरक्षीगण श्री इन्द्रमनी, श्री राजकुमार सिंह, श्री जगत सिंह, श्री शिवचरन आदि को चोटें आना डा. दीवान (साक्षी क्रमांक 14) के कथन से सिद्ध है. आहत व्यक्तियों की चोटों के सम्बन्ध में यह विवेचन इस तथ्य का द्योतक है कि विद्यार्थी वर्ग एवं प्राचार्य पक्ष की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त साक्षीगण के यह कथन स्पष्ट रूप से ही अतिशियोक्ति पूर्ण एवं कृत्रिम हैं कि विद्यार्थियों का समूह स्थल पर शान्त था जबकि पुलिस ने ही अंधाधुन्ध प्रतिवैर की भावना से प्रेरित होकर उनके विरुद्ध बल प्रयोग किया और उनके वरिष्ठ अधिकारी आरक्षक दल को विद्यार्थियों को मारने हेतु प्रोत्साहन देते रहे. वस्तुतः यदि उक्त स्थिति सही होती तो आरक्षक दल के सदस्यों की अपेक्षा विद्यार्थी पक्ष के सदस्यों को ही अधिक चोटें आना स्वाभाविक था जब कि वस्तुस्थिति इसके विपरीत रही है.

(41) घटनास्थल पर एकत्रित हो रहा विद्यार्थी समूह शान्त नहीं रहा था वरन् उत्तेजित होकर हिंसा पर उतारू था यह स्थिति हमारे समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से पूर्णतया स्पष्ट है. तत्सबन्ध में प्रस्तुत

साक्ष्य पर विवेचन करने के पूर्व तीन तथ्य विशेष महत्वपूर्ण हैं, जो वस्तुतः परिस्थिति साक्ष्य से संबंधित हैं और उक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में यह स्पष्ट है कि शासन द्वारा प्रतिपादित पक्ष निवेदन ही सत्य के अधिक निकट है कि विद्यार्थियों का समूह अशान्त होकर हिंसा पर उतारू हो गया था जिसको तितर बितर करना अनिवार्य था अन्यथा घटना और अधिक दुखद हो जाती. प्रथम महत्वपूर्ण तथ्य है स्वयं महाविद्यालय के विद्यार्थियों की मनोवृत्ति, द्वितीय तथ्य है डाक्टर श्री कपूर को आई हुई चोटें और तृतीय तथ्य है घटना स्थल की स्थिति जो इस तथ्य की द्योतक है कि विद्यार्थी वर्ग अनउत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार में संलग्न होकर हिंसा पर उतारू हो गया था.

(42) स्वयं महाविद्यालय के प्राचार्य श्री शान्तीलाल सोलंकी (साक्षी क्रमांक 12) जिन्होंने वस्तुतः पूर्ण सत्य कथन करने का नैतिक साहस नहीं दर्शाया है और उनका कथन विद्यार्थी पक्ष में आवश्यकता से अधिक अभिरुचित रहा है यह स्वीकार करते हैं कि इस महाविद्यालय के विद्याथियों ने सन् 67 में महाविद्यालय के प्राचार्य डाक्टर मुदगल की गाड़ी को आग लगाई थी. प्राचार्य यह भी स्वीकार करते हैं कि इस महाविद्यालय के विद्यार्थियों के विरुद्ध बम केस भी पुलिस ने प्राभियोजित किया था. प्राचार्य बुझे मन से (Half heartedly) इस तथ्य को भी स्वीकार करते हैं कि इस महाविद्यालय के कतिपय विद्यार्थियों ने टी. टी. नगर में मदिरापान किया और जब दूकानदार ने मदिरा का मूल्य मांगा तो विद्याथियों ने दूकानदार से झगड़ा किया तथा कुछ विद्यार्थियों ने दूकान भी लूट ली. विद्यार्थियों द्वारा पुलिस को अभित्रस्त करने की धमकी देने से भी साक्षी निषेध नहीं करता. राज्य परिवहन के परिचालक के साथ विद्यार्थियों द्वारा मारपीट किया जाना भी साक्षी स्वीकार करता है. (कृपया देखिये चरण क्रमांक 38) महाविद्यालय का सहायक प्राध्यापक श्री एस. के. बोस (साक्षी क्रमांक 11, चरण क्रमांक 19) भी महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्राचार्य की गाड़ी में आग लगा देना, आपस में मारपीट की घटनायें होना, विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय प्रांगण में बम फेंकना और शराब की दूकान लूट लेना आदि घटनायें स्वीकार करता है. शासन द्वारा राज्य परिवहन सेवा से संबंधित अधिकारीगण श्री वीरेन्द्र कुमार जैन (साक्षी क्रमांक 39, चरण क्रमांक 1) श्री प्रहलाद शर्मा (साक्षी क्रमांक 33, चरण क्रमांक 1), श्री मंघाराम (साक्षी क्रमांक 41, चरण क्रमांक 1), श्री मोहम्मद शरीफ खा (साक्षी क्रमांक 44, चरण क्रमांक 1), श्री खलील खा (साक्षी क्रमांक 46, चरण क्रमांक 1), श्री मोहम्मद इब्राहीम (साक्षी क्रमांक 45, चरण क्रमांक 2), श्री केवलराम (साक्षी क्रमांक 47, चरण क्रमांक 1), श्री लक्ष्मीशंकर आयाची (साक्षी क्रमांक 49, चरण क्रमांक 2), और श्री चतुरभुज शर्मा (साक्षी क्रमांक 50, चरण क्रमांक 2), के कथनों से यह तथ्य भली भाति सिद्ध है कि इस महाविद्यालय के विद्यार्थीगण प्रायः ही राज्य परिवहन की बसों को "Hijack" करते हैं, कर्मचारियों के विरुद्ध बल प्रयोग करते रहे हैं और स्वयं की मनमानी करने तथा अपने उचित अनुचित निर्देशों को राज्य परिवहन के कर्मचारियों पर थोपने के अभ्यस्त रहे हैं. वस्तुतः महाविद्यालय के विद्यार्थियों के उक्त आचरण स्पष्ट ही उनकी अनाचार (High Handedness,) अनउत्तरदायित्व पूर्ण (Irresponsible) एवं उदण्ड प्रवृत्ति के परिचायक हैं. जो न केवल विद्यार्थी वर्ग के नाम को कलंकित करते हैं वरन इस महाविद्यालय से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिये भी गम्भीरतापूर्वक विचार का प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करते हैं. महाविद्यालय के विद्यार्थियों की इस पृष्ठ भूमि को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा प्रतिपादित यह पक्ष निवेदन ही अधिक सम्भावित प्रतीत होता है कि विद्यार्थियों का समूह उत्तेजित होकर हिंसा पर उतारू था जबकि विद्यार्थी पक्ष का यह पक्षनिवेदन जिसका समर्थन प्राचार्य पक्ष द्वारा भी किये जाने की असफल चेष्टा की गई है, कि विद्यार्थी वर्ग मात्र जिज्ञासावश विद्यार्थी श्री सोंधिया की मृत्यु के कारण जानने हेतु स्थल पर एकत्रित हुआ था और उसका आचरण शान्ति पूर्ण था, स्वयं में एक अस्वाभाविक पक्ष निवेदन प्रतीत होता है.

(43) विद्यार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण डाक्टर श्री कपूर को आई हुई चोटों के सम्बन्ध में स्वयं को पूर्णतया निर्दोष प्रतिपादित करते हैं जबकि प्राचार्य पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य तत्सबन्ध में कोई स्पष्ट कथन करने से बचने की असफल चेष्टा करती है किन्तु तथ्य निश्चित ही यह रहा है कि कतिपय विद्यार्थियों ने डाक्टर कपूर के साथ मनमाने ढंग से मारपीट की है और वस्तुतः यदि डाक्टर कपूर को पुलिस का समुचित संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ होता तो स्पष्ट ही असंयत एवं उदण्ड विद्यार्थियों के हाथों डाक्टर कपूर की जान को खतरा था. डाक्टर यशवन्तसिंह कपूर (साक्षी क्रमांक 19, चरण क्रमांक 4 एवं 6) का कथन रहा है कि

विद्यार्थियों की भीड़ जब अधिक उत्तेजित हो गई और खून के बदले खून तथा मृतक विद्यार्थी के साथ डाक्टर की लाश भी निकाले जाने के नारे लगाने लगी तो उसने चिकित्सालय के अन्दर चिकित्सकों के कर्तव्य कक्ष में जाकर शरण ली किन्तु विद्यार्थियों ने धक्के मारकर दरवाजा खोल लिया और 15–20 विद्यार्थियों के समूह ने लात घूसों से तथा जो भी वस्तु उनके हाथ में आई उससे उसके साथ मार पीट की. डाक्टर का कथन रहा है कि पुलिस उपनिरीक्षक श्री भीमसिंह ने उसे बचाया और विद्यार्थियों को कमरे के बाहर ढकेला. डाक्टर श्री कपूर का कथन रहा है कि 10–15 मिनिट पश्चात् पुन: विद्यार्थियों का समूह दरवाजे के कांच आदि तोड़ कर अन्दर घुस आये थे और उक्त समूह के सदस्यों ने उसे मारा जिसके फलस्वरूप उसके सिर में, चेहरे पर, पीठ में व छाती में चोटें आईं, तथा उसकी एक हड्डी भी टूट गई. साक्षी का कथन रहा है कि वह हृदयरोग से पीड़ित व्यक्ति था और उक्त मारपीट के कारण उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे हृदय पर आक्रमण पुन: हुआ हो. डाक्टर का कथन है कि महाविद्यालय के अध्यापक वर्ग एवं पुलिस की सहायता से उसे विद्यार्थियों के हाथों से बचाया गया. डाक्टर श्री दीवान (साक्षी क्रमांक 14) ने डाक्टर श्री कपूर का परीक्षण किया है और उसे प्रदर्श एस. 3 के अनुसार "कन्टीयूजन्स" पाये तथा छाती में दर्द के सम्बन्ध में अस्पताल में परीक्षण कराने का परामर्श दिया है. डाक्टर एस. के. बाजपेयी (साक्षी क्रमांक 31) का कथन रहा है कि उसने डाक्टर कपूर की छाती का क्ष-रश्मि परीक्षण किया था तो प्रदर्श एस. 27 क्ष-रश्मि परीक्षण चित्र के आधार पर डाक्टर कपूर की बाई पसली टूटी हुई पायी थी जिस सम्बन्ध में उसने प्रदर्श एस. 26 का प्रतिवेदन दिया. डाक्टर श्री कपूर को चोटें आई थीं ऐसा स्वयं विद्यार्थी श्री विनोद कुमार (साक्षी क्रमांक 5) अपने कूट परीक्षण में स्वीकार करता है. विद्यार्थी श्री राजीव सक्सेना (साक्षी क्रमांक 10) भी डाक्टर श्री कपूर को चोटें आना स्वीकार करता है. विद्यार्थी श्री पी. के. अग्रवाल (साक्षी क्रमांक 6) भी डाक्टर कपूर के साथ विद्यार्थियों द्वारा की गई मारपीट का खण्डन नहीं करता. पुलिस उपनिरीक्षक श्री भीमसिंह (साक्षी क्रमांक 42) डाक्टर श्री यशवंतसिंह कपूर के कथन का मुख्य अंशों पर सारत: (Substantially) समर्थन करता है. पुलिस उपनिरीक्षक का कथन रहा है कि 15–20 विद्यार्थियों का समूह उसके एवं अन्य पुलिस उपनिरीक्षक श्री कटयारे, श्री पिंगे और श्री दुबे के रोकने के उपरान्त भी बलात् उस कर्तव्य कक्ष में घुस गया जिसमें डाक्टर श्री कपूर को उसकी सुरक्षा की दृष्टि से रोक रखा गया था और उन्होंने डाक्टर कपूर के साथ मारपीट की तथा डाक्टर कपूर को बचाते समय पुलिस उपनिरीक्षकों को भी चोटें आईं साक्षी का कथन है कि अत्याधिक कठिनाई से उन्होंने विद्यार्थियों को कमरे के बाहर निकाला और डाक्टर कपूर को निर्देशित किया कि वह कमरा अन्दर से बन्द कर लें किन्तु पुन: विद्यार्थियों के समूह ने कांच आदि तोड़ दिये तथा दरवाजा खोलकर कमरे में घुसकर डाक्टर कपूर के साथ मारपीट की. साक्षी का कथन है कि विद्यार्थी डाक्टर कपूर को जान से मारने का कहते थे और उन्होंने ड्यूटी रूम की कुर्सी, टेलीफोन, कांच आदि सब तोड़ दिये, महाविद्यालय के स्टाफ की सहायता से बमुश्किल विद्यार्थियों को कमरे से बाहर निकाला जा सका और डाक्टर कपूर को बचाया जा सका किन्तु विद्यार्थी दरवाजे के बाहर निकल कर भी चिल्लाते रहे कि डाक्टर श्री कपूर को उनके हवाले कर दिया जाये, वे डाक्टर कपूर को जिन्दा नहीं छोड़ेंगे. पुलिस उपनिरीक्षक श्री कटयारे (साक्षी क्रमांक 38, चरण क्रमांक 2 एवं 3), श्री अनिल पिंगे (साक्षी क्रमांक 43, चरण क्रमांक 2) और नगर पुलिस अधीक्षक श्री पंडित (साक्षी क्रमांक 27, चरण क्रमांक 19) भी पुलिस उपनिरीक्षक श्री भीमसिंह के कथन का समर्थन करते हैं. उक्त साक्ष्य का कोई समुचित खण्डन विद्यार्थी पक्ष अथवा प्राचार्य पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से नहीं किया जा सका है. तथ्यों की उक्त पृष्ठभूमि शासन द्वारा प्रतिपादित इस पक्षनिवेदन को सम्भावित दर्शाती है कि विद्यार्थियों का वर्ग उत्तेजित होकर हिंसा पर उतारू था और उसने न केवल डाक्टर कपूर के साथ मारपीट की वरन् विद्यार्थियों का समूह डाक्टर कपूर की जान का भी ग्राहक बना हुआ था.

(44) अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री त्रिवेदी (साक्षी क्रमांक 28) का कथन रहा है कि चिकित्सालय के अन्दर कर्तव्य कक्ष का सामान अस्तव्यस्त पड़ा था, पोर्च के सामने बहुत सारे पत्थर पड़े थे, और चिकित्सालय की गाड़ियां जो बाहर खड़ी थी उनमें से कई गाड़ियों के कांच टूट गये थे. कर्तव्य कक्ष के टेलीफोन तार को भी तोड़ा हुआ पाया जाना साक्षी कथन करता है (कृपया देखिये चरण क्रमांक 3 एवं 5) पुलिस मण्डल अधीक्षक श्री जगमोहन खन्ना (साक्षी क्रमांक 29, चरण क्रमांक 4, 5 एवं 7) का भी कथन रहा है कि चिकित्सालय प्रांगण में पत्थर फैले हुये थे जो विद्यार्थियों द्वारा फैंके गये थे तथा गाड़ियों के कांच टूटे हुये थे. पुलिस की मोबाइल वाहन का भी कांच विद्यार्थियों द्वारा किये गये पथराव के कारण टूट गया था. डाक्टर कपूर जिस ड्यूटी रूम में थे उस कमरे की टेबिल का कांच टूटा हुआ था

टेलीफोन टूटा हुआ था और सब सामान अस्त-व्यस्त था. श्री कैलाशनाथ वाही (साक्षी क्रमांक 40) ने घटना स्थल के चित्र एस. 32 लगायत एस. 39 प्रस्तुत कर अपना प्रतिवेदन एस. 31 सिद्ध किया है जिसके अनुसार चिकित्सालय में लगे हुये वर्कशाप में खड़ी गाड़ियों के जांच आदि टूटना सिद्ध है. पुलिस उप निरीक्षक श्री भीमसिंह (साक्षी क्रमांक 42, चरण क्रमांक 10) का भी कथन रहा है कि पोर्च के सामने पत्थर ईंट के टुकड़े थे जिसके फलस्वरूप चिकित्सालय एवं पुलिस की गाड़ियों के कांच तोड़े गये थे. पुलिस उप-निरीक्षक श्री अनिल पिंगे (साक्षी क्रमांक 43, चरण क्रमांक 8, 9, 10 एवं 11) के कथन एवं प्रदर्श एस. 46 लगायत एस. 54 के चित्रों से यह स्पष्ट है कि उक्त कमरे का सामान अस्त-व्यस्त था जिसमें डाक्टर कपूर अपनी सुरक्षा हेतु बैठे थे, चिकित्सालय एवं पुलिस के गाड़ियों के कांच टूटे थे तथा चिकित्सालय प्रांगण में पोर्च के निकट पड़े हुये 97 पत्थर प्रदर्श एस. 21 द्वारा असोधित किये गये थे. घटना स्थल की उक्त स्थिति शासन पक्ष द्वारा प्रतिपादित इस पक्षनिवेदन को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करती है कि विद्यार्थी वर्ग द्वारा न केवल उस कर्तव्य कक्ष में जहां डाक्टर कपूर अपनी सुरक्षा हेतु बैठे थे, प्रवेश कर सामान को अस्त-वयस्त किया गया तथा तोड़-फोड़ की गई वरन विद्यार्थियों के समूह ने चिकित्सालय एवं पुलिल की गाड़ियो पर भी पथराव किया और सम्पत्ति तथा मानवीय जीवन को क्षति पहुंचाई. उक्त परिस्थिति विद्यार्थी पक्ष द्वारा प्रतिपादित इस पक्ष निवेदन को खंडित करती है कि वे तो पूर्णतया शान्त थे जबकि स्वयं पुलिस ने ही बिना किसी पूर्व सूचना के उन पर अकारण ही लाठी चार्ज किया

(45) उक्त परिस्थिति साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् जब हम अपना ध्यान पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण को प्रत्यक्ष साक्ष्य की ओर केन्द्रित करते हैं तो तथ्यों की उक्त पृष्ठभूमि में पुलिस अधिकारियों का यह कथन सहज ही विश्वसनीय पाते हैं कि स्थिति विस्फोटक हो गई थी और विद्यार्थियों को चिकित्सालय प्रांगण से तितर बितर करना सम्पत्ति की सुरक्षा एवं डाक्टर यशवन्तसिंह कपूर के जीवन की सुरक्षा हेतु अनिवार्य था.

(46) घटना के संबंध में सम्भावनाओं पर विचार करते समय स्थल पर उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या एवं आरक्षक बल की शक्ति भी एक महत्वपूर्ण परिस्थिति साक्ष्य रही है. उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि विद्यार्थी शनैः शनैः तात्या टोपे चिकित्सालय पर एकत्रित हो रहे थे और उनकी संख्या उस समय निश्चित ही लगभग 300 हो गई थी जबकि आरक्षक बल ने तथाकथित बल प्रयोग कर उन्हें तितर बितर किया. स्वयं विद्यार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण श्री रमेशकुमार सिंघई (साक्षी क्रमांक 4), श्री विनोदकुमार (साक्षी क्रमांक 5), श्री पी. के. अग्रवाल (साक्षी क्रमांक 6) और श्री राजीव सक्सेना (साक्षी क्रमांक 10) के अनुसार विद्यार्थी 100-150 की संख्या में स्थल पर एकत्रित हो गये थे. प्राचार्य पक्ष की ओर से प्रस्तुत सहायक प्राध्यापक श्री एस. के. बोस लगभग 300 विद्यार्थियों का समूह स्थल पर एकत्रित होना स्वीकार करता है. चिकित्सालय प्रांगण में लगभग 150 विद्यार्थी एकत्रित होना और उनकी संख्या शनैः शनैः बढ़ना प्राचार्य श्री शांतालाल सोलंकी (साक्षी क्रमांक 12) भी स्वीकार करते हैं. प्राचार्य पक्ष की ओर से प्रस्तुत सहायक प्राध्यापक श्री के. बी. नागराजन (साक्षी क्रमांक 13), एवं श्री विश्वनाथन (साक्षी क्रमांक 14) एवं डाक्टर रमेशचन्द सक्सेना (साक्षी क्रमांक 16) एवं श्री श्रीधरन (साक्षी क्रमांक 17) स्थल पर एकत्रित विद्यार्थियों की संख्या लगभग 250 प्रतिपादित करते हैं. नगर पुलिस अधीक्षक श्री वी. एल. पंडित (साक्षी क्रमांक 27) के कथनानुसार स्थल पर पहले 50-60 विद्यार्थी एकत्रित थे जिनकी संख्या शनैः शनैः बढ़कर 300-350 हो गई थी और वे लोग डाक्टर कपूर की जान के ग्राहक बने हुए थे. स्थल पर 300-350 विद्यार्थियों की भीड़ एकत्रित होना अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री पी. एस. त्रिवेदी (साक्षी क्रमांक 28), पुलिस मण्डल निरीक्षक श्री जगमोहन खन्ना, (साक्षी क्रमांक 29), व्याख्याता राज्य शिक्षा संस्था श्री कृष्णगोपाल तिवारी (साक्षी क्रमांक 32), पुलिस उपअधीक्षक श्री एम. एल. वर्मा (साक्षी क्रमांक 35), पुलिस उपनिरीक्षक श्री डी. एस. कटयारे (साक्षी क्रमांक 38), पुलिस उपनिरीक्षक भीमसिंह (साक्षी क्रमांक 42), पुलिस उपनिरीक्षक श्री अनिल पिंगे (साक्षी क्रमांक 43), भी प्रतिपादित करते हैं. लगभग 150 विद्यार्थियों की भीड़ चिकित्सालय प्रांगण में एकत्रित होना और उसका शनैः शनैः बढ़ना सिविल सर्जन डाक्टर राजन (साक्षी क्रमांक 51), भी कथन करते हैं. उक्त साक्ष्य की पृष्ठ भूमि

में यह स्थिति सहज ही विश्वसनीय है कि चिकित्सालय प्रांगण में लगभग 250-300 विद्यार्थियों की भीड़ अवश्य एकत्रित हो गई थी. जिसकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी.

(47) स्थल पर आरक्षी बल की शक्ति अपेक्षाकृत नगण्य थी यह तथ्य पुलिस अधिकारियों के कथनों से भलीभांति सिद्ध है जिसका कोई खण्डन विद्यार्थी पक्ष द्वारा नहीं किया जा सका है. सर्वप्रथम स्थल पर उपनिरीक्षक श्री भीमसिंह पुलिस उपनिरीक्षक श्री कटियारे के साथ पहुंचा था जैसा कि श्री भीमसिंह (साक्षी क्रमांक 42) एवं श्री कटियारे (साक्षी क्रमांक 38), का कथन रहा है. विद्यार्थियों की उत्तेजित भीड़ शनैः शनैः स्थल पर बढ़ती गई तो पुलिस उपनिरीक्षक श्री भीमसिंह की सूचना पर नगर पुलिस अधीक्षक श्री बी. एल. पंडित घटना स्थल पर आये जैसा कि साक्षी श्री भीमसिंह एवं श्री बी. एल. पंडित (साक्षी क्रमांक 27) का कथन रहा है. श्री बी. एल. पंडित ने स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री त्रिवेदी एवं पुलिस उपअधीक्षक श्री एम. एल. वर्मा को सूचना दी जिस पर उक्त दोनों अधिकारी घटना स्थल पर आये तथा पुलिस मण्डल अधीक्षक श्री जगमोहन खन्ना (साक्षी क्रमांक 29) भी आरक्षक दल के साथ स्थल पर आया. पुलिस मण्डल अधीक्षक श्री जगमोहन खन्ना का कथन रहा है कि उसके साथ तीन पुलिस उपनिरीक्षक, एक मुख्य आरक्षक एवं 11 आरक्षकों का दल था. कूट परीक्षण में साक्षी का कथन रहा है कि स्थल पर पुलिस अधिकारी एवं आरक्षकों की संख्या कुल मिला कर 16 थी. एक अन्य पुलिस वाहन में पुलिस दल की संख्या 1-7 का गार्ड होना आरक्षक श्री मन्नूलाल (साक्षी क्रमांक 34) भी कथन करता है. साक्षी श्री जिनेन्द्रकुमार जैन (साक्षी क्रमांक 2) अवश्य स्थल पर पुलिस की 25-30 गाड़ियां आना और आरक्षक दल की संख्या 100-150 होना प्रतिपादित करता है किन्तु उसका कथन स्पष्ट ही अतिशयोक्तिपूर्ण है जिसका समर्थन अन्य किसी साक्ष्य से नहीं होता. वस्तुतः आरक्षक बल की शक्ति के संबंध में कथन करने वाले साक्षीगण सहायक प्राध्यापक श्री एस. के. बोस (साक्षी क्रमांक 11), प्राचार्य श्री शांतीलाल सौलंकी (साक्षी क्रमांक 12), श्री शिवनाथन (साक्षी क्रमांक 14) एवं श्री श्रीधरन (साक्षी क्रमांक 17) स्वयं ही आरक्षक दल की अथवा पुलिस वाहनों की संख्या क संबंध में कोई निश्चयात्मक कथन करने में असमर्थ रहे हैं. पुलिस अधिकारियों द्वारा तत्सम्बन्ध में प्रतिपादित तथ्य को किसी भी पक्षकार द्वारा सफलतापूर्वक कोई चुनौती नहीं दी गई है. साक्ष्य विवेचन की उक्त पृष्ठभूमि में पुलिस वाहनों की संख्या 4-5 से अधिक और आरक्षक बल की संख्या 30-40 से अधिक किसी भी दशा में निर्णित नहीं होती और यह स्पष्ट है कि विद्यार्थियों की भीड़ की अपेक्षा आरक्षक बल की सदस्य संख्या लगभग 1/10 ही रही है. अतः यह आक्षेप निराधार है कि आरक्षक बल की संख्या स्थल पर इतनी अधिक थी कि आरक्षक बल के सदस्य एक एक विद्यार्थी का पीछा करते हुए उन्हें खदेड़ रहे थे अथवा मार रहे थे.

(48) पुलिस उपनिरीक्षक श्री भीमसिंह (साक्षी क्रमांक 42), का कथन रहा है कि जब वह रात्री लगभग 8 बजे श्री सोंधिया की मृत्यु की सूचना पर तात्या टोपे नगर चिकित्सालय प्रांगण में पहुंचा तो वहां 40-50 व्यक्तियों की भीड़ थी और उसे बताया गया कि सोंधिया की मृत्यु पेन्सलीन अन्तःक्षेपण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुई है. जब कि विद्यार्थियों का समूह कहता था कि सोंधिया की मृत्यु डाक्टर कपूर की लापरवाही से हुई है और वह खून का बदला खून से लेंगे. साक्षी का कथन है कि उसने आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन विद्यार्थियों को दिया तथा उन्हें कानून अपने हाथ में न लेने हेतु समझाया और स्वयं महाविद्यालय औषधालय को जाकर सीलबन्द किया. पुलिस उपनिरीक्षक श्री भीमसिंह का कथन रहा है कि जब वह औषधालय सील बन्द कर पुनः चिकित्सालय आया तो विद्यार्थी काफी अधिक संख्या में एकत्रित हो गये थे और वे डाक्टर कपूर से बदला लेने हेतु उतारू थे. श्री भीमसिंह का कथन रहा है कि उसने विद्यार्थियों को पुनः समझाया कि वह विधवत् कार्यवाही कर रहा है अतः वे लोग शान्त रहें किन्तु विद्यार्थियों ने कहा कि कानून से कुछ नहीं होता वे तो स्वयं ही डाक्टर कपूर से निपट लेंगे अतः डाक्टर कपूर की सुरक्षाहेतु उसने डाक्टर कपूर को डियूटी रूम में बिठाला तथा घटना की सूचना सिटी पुलिस उपनिरीक्षक को दी जिन्होंने स्वयं भी प्राचार्य से बात की और फिर पुलिस जीप में घटना स्थल पर आये. पुलिस उपनिरीक्षक श्री भीमसिंह का कथन रहा है कि जैसे ही नगर पुलिस अधीक्षक श्री पंडित चिकित्सालय प्रांगण में आये विद्यार्थियों ने हल्ला किया "मादर चोद पुलिस क्यों आई है हम अपना

मामला स्वयं सुलझा लेंगे "पुलिस के कुत्ते क्यों यहां आये इनको यहां से भगाओ." साक्षी का कथन रहा है कि नगर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस वाहन प्रांगण से बाहर ले जाने हेतु चालक को निर्देशित किया और इसी बीच विद्यार्थियों के एक समूह ने कर्त्तव्य कक्ष में घुसकर डाक्टर कपूर क साथ मारपीट की तो उसने पुलिस उपनिरीक्षक श्री पिंगे, श्री दुबे एवं श्री कटियारे की सहायता से बड़ी मुश्किल से डाक्टर कपूर को बचाया और डाक्टर कपूर की सुरक्षाहेतु उसे कमरे में बन्द कर दिया किन्तु दरवांजा तोड़कर विद्यार्थी-गण ने पुनः डाक्टर कपूर के साथ मारपीट की. डाक्टर कपूर विद्यार्थियों से बचने के लिये मेज, पंलग के नीचे छुपते थे किन्तु विद्यार्थी यह कहते हुए कि वह डाक्टर कंपूर को जिन्दा नहीं छोड़ेंगे और चिकित्सालय से विद्यार्थी एवं डाक्टर की लाश साथ-साथ निकलेगी, डाक्टर कपूर का पीछा करते थे तथा उन्हें मारते थे साक्षी का कथन है कि महाविद्यालय के अध्यापकों की सहायता से उसने बड़ी मुश्किल से विद्यार्थियों के उक्त समूह को कमरे से निकाला तब तक चिकित्सालय प्रांगण में 300-400 विद्यार्थियों की भीड़ एकत्रित हो गई थी और अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं आरक्षक दल स्थल पर आ गया था जिन पर विद्यार्थियों ने पथराव आरंभ कर दिया तो आरक्षक दल ने विद्यार्थियों को स्थल से भगाया.

(49) पुलिस उपनिरीक्षक श्री भीमसिंह के कथन का समर्थन पुलिस उपनिरीक्षक श्री कटियारे (साक्षी क्रमांक 38) और नगर पुलिस अधीक्षक श्री बी. एल. पंडित (साक्षी क्रमांक 27) भलीभांति करते हैं. डाक्टर यशवन्तसिंह कपूर (साक्षी क्रमांक 19) का भी कथन रहा है कि विद्यार्थियों की उत्तेजित भीड़ उसे बाहर निकालने के लिये हल्ला करती थी और खून का बदला खून से लेने तथा एक साथ दो लाशें निकालने हेतु नारे लगाती थी. डाक्टर कपूर का कथन है कि पुलिस उपनिरीक्षक श्री भीमसिंह ने उसे ड्यूटी रूम में बिठाला किन्तु दो बार विद्यार्थियों के उत्तेजित समूह ने ड्यूटी रूम का दरवाजा तोड़कर उसके साथ मारपीट की तथा पथराव आदि किया. नगर पुलिस अधीक्षक श्री बी. एल. पंडित (साक्षी क्रमांक 27) का कथन रहा है कि जैसे ही वह स्थल पर पहुंचा विद्यार्थियों के समूह ने पुलिस के आने पर आपत्ति की तथा पुलिस को गालियां दीं. साक्षी का कथन रहा है कि विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष श्री चक्रवर्ती एवं प्राचार्य श्री शान्तीलाल सोलंकी के इस परामर्श पर कि विद्यार्थी पहले से ही उत्तेजित हैं, वे उन्हें शान्त कर देंगे उसने पुलिस की "मोबाइल गाड़ी" को चिकित्सालय प्रांगण के बाहर भिजवा दिया किन्तु स्थल पर शान्ती नहीं हुई वरन विद्यार्थियों का समूह डाक्टर कंपूर को उनके हवाले करने की मांग करने लगा. साक्षी का कथन रहा है कि विद्यार्थियों का समूह कानूनी कार्यवाही से सहमत नहीं था वरन रोगी की एक लाश के स्थान पर रोगी व डाक्टर दोनों की लाशों की मांग करता था. विद्यार्थी परिषद् के अध्यक्ष श्री चक्रवर्ती एवं महाविद्यालय के अध्यापक वर्ग के सदस्यों ने विद्यार्थियों को समझाने की चेष्टा भी की किन्तु विद्यार्थी शान्त नहीं हुए और विद्यार्थियों का एक समूह डाक्टर कपूर को जान से मारने के लिये उस कमरे की ओर अग्रसर हुआ जिसमें सुरक्षा हेतु डाक्टर कपूर को बैठाला गया था तो उसने स्थिति की सूचना अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को दी और स्वयं स्थिति पर नियंत्रण रखने की चेष्ठा की किन्तु एक ओर तो विद्यार्थियों के समूह ने उस डियूटी रूम की ओर हल्ला बोल दिया जहां डाक्टर कपूर को सुरक्षा हेतु बिठाल रखा था और वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों के समूह ने पोर्च के अन्दर पथराव शुरू कर दिया साक्षी का कथन रहा है कि अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री त्रिवेदी और उनके पीछे पुलिस मण्डल अधीक्षक जगमोहन खन्ना वहां आये और जब उन्होंने विद्यार्थियों के समूह को समझाने की चेष्टा की कि दण्डाधिकारी महोदय आ गये हैं जो आवश्यक कार्यवाही करेंगे अतः विद्यार्थी शान्त हो जायें तो विद्यार्थियों ने अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को भी घेर लिया तथा उनके एवं पुलिस अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की एवं पथराव शुरू किया तो स्वयं उसने एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने आरक्षक दल को विद्यार्थियों को भगानेहेतु निर्देश दिया जिस पर आरक्षक बल के सदस्योंने जमीन पर डन्डे पटक पटक कर विद्यार्थियों को चिकित्सालय प्रांगण से भगाया.

(50) स्वयं प्राचार्य श्री शान्तीलाल सोलंकी (साक्षी क्रमांक 12) अपने कथन में स्वीकार करता है कि जैसे ही नगर पुलिस अधीक्षक श्री पंडित वहां आये तो विद्यार्थियों ने "पुलिस पुलिस" का हल्ला कर वहाँ पुलिस की उपस्थिति के संबंध में आपत्ति की जिस पर नगर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस वाहन को चिकित्सालय प्रांगण के बाहर हटवा दिया. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री पी. एस. त्रिवेदी (अभियोजन साक्षी क्रमांक 28) का कथन रहा है कि घटना की सूचना प्राप्त होने पर वह घटना स्थल पर आया और उसके पीछे पुलिस मण्डल अधीक्षक श्री जगमोहन खन्ना के साथ 1-11 का दल 4

पुलिस अधिकारियों के सहित स्थल पर आया कि विद्यार्थियों का समूह चिल्लाने लगा. "पुलिस के कुत्ते फिर क्यों आ गये हम डाक्टर कपूर के निपट लेंगे." श्री त्रिवेदी का कथन रहा है कि विद्यार्थियों का समूह आरक्षक दल को पीछे ढकेलने लगा तो पुलिस मण्डल निरीक्षक ने उन्हें कहा कि ए. डी. एम. आ गये हैं अतः वह शान्त रहें जिस पर विद्यार्थी चिल्लाने लगे कि ए. डी. एम. कौन है ? साक्षी का कथन है कि उसने हाथ उठाकयर स्वयं को ए. डी. एम. होना कहा और विद्यार्थियों को शान्त रहने हेतु आग्रह किया किन्तु कुछ विद्यार्थी उसके निकट आये और एक विद्यार्थी उसकी जीप के बोनट पर चढ़ गया तथा कुछ विद्यार्थियों ने उसे घेर कर धक्का मुक्की चालू कर दी तो उसने विद्यार्थियों को वहां से तितर-बितर होने हेतु कहा और तभी पथराव होने लगा तो उसने मण्डल निरीक्षक श्री खन्ना को विद्यार्थियों को वहां से भगाने हेतु निर्देशित किया. साक्षी का कथन है कि विद्यार्थिगण पथराव करते थे जब कि आरक्षक दल ने जमीन पर डन्डे मार मार कर तथा चिल्ला कर विद्यार्थियों के समूह को चिकित्सालय प्रांगण से बाहर भगाया . पुलिस मण्डल अधीक्षक श्री जगमोहन खन्ना (अभियोजन साक्षी क्रमांक 29) श्री त्रिवेदी के कथन का मुख्य अंशों पर सारतः समर्थन करता है. पुलिस उपअधीक्षक एम. एल. वर्मा (साक्षी क्रमांक 35) एवं पुलिस उपनिरीक्षक श्री एस. पी. मेहता (साक्षी क्रमांक 52) भी श्री त्रिवेदी एवं श्री खन्ना के कथनों का समर्थन करते हैं.

(51) व्याख्याता राज्य शिक्षा संस्थान श्री कृष्णगोपाल तिवारी (साक्षी क्रमांक 32) का भी कथन रहा है कि विद्यार्थीगण पुलिस को धक्का देकर उस कमरे में जाने की चेष्टा कर रहे थे जिसमें डाक्टर कपूर को बिठाला गया था और वे उत्तेजित थे तथा डाक्टर कपूर को अश्लील गालियां देते थे. साक्षी का कथन है कि भीड़ अधिक थी और उत्तेजित थी अतः वह स्वयं तो पीछे के रास्ते से बाहर निकल गया. श्रीधरन (साक्षी क्रमांक 17) भी अपने कूट परीक्षण में स्वीकार करता है कि विद्यार्थियों का समूह डाक्टर कपूर को लापरवाह निरूपित करते हुए उसे उसकी "लापरवाही" हेतु दण्ड देने उद्यत था, जब कि आरक्षक दल भीड़ को शान्त रखने में अभिरूचित होकर उक्त भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास कर रहा था. विद्यार्थी श्री दीपक वामन जोशी (साक्षी क्रमांक 18) अपने कूट परीक्षण में यह अवश्य स्वीकार करता है कि विद्यार्थियों की आपत्ति पर नगर पुलिस अधीक्षक श्री पंडित ने पुलिस की गाड़ी को चिकित्सालय प्रांगण से वापिस कर दिया था.

(52) शासन पक्ष द्वारा प्रस्तुत उक्त स्वाभाविक एवं विश्वसनीय साक्ष्य के खण्डन में श्री रमेश कुमार सिंघई (साक्षी क्रमांक 4), श्री विनोदकुमार (साक्षी क्रमांक 5), श्री पी. के. अग्रवाल (साक्षी क्रमांक 6), श्री समीउल्ला खां (साक्षी क्रमांक 8), श्री एन. सी जैन (साक्षी क्रमांक 9), श्री राजीव सक्सेना (साक्षी क्रमांक 10), सहायक अध्यापक श्री एस. के. बोस (साक्षी क्रमांक 11), प्राचार्य श्री शान्तीलाल सोलंकी (साक्षी क्रमांक12), प्राध्यापक नागराजन (साक्षी क्रमांक 13), एवं श्री विश्वनाथन(साक्षी क्रमांक14), ने यह प्रतिपादित करने की चेष्टा की है कि विद्यार्थीवर्ग पूर्णतया शान्त था, डाक्टर कपूर को जान को कोई खतरा नहीं था, विद्यार्थी वर्ग द्वारा पुलिस अधिकारियों के साथ न तो कोई धक्का मुक्की की गई और न किसी प्रकार का पथराव हुआ वरन पुलिस ने अकारण ही जिज्ञासावश एकत्रित विद्यार्थियों के समूह पर लाठी चार्ज किया. वस्तुतः उक्त पक्षनिवेदन स्वयं में ही अस्वाभाविक रहा है और साक्षीगण के कथन कूट परीक्षण की धार पर खरे नहीं उतरे हैं. डाक्टर कपूर के साथ विद्यार्थियों ने मारपीट की, विद्यार्थी वर्ग उत्तेजित था, स्थल पर पथराव हुआ जिसके फलस्वरूप न केवल संपत्ति को क्षति पहुंची वरन पुलिस अधिकारियों को भी चोटें आई यह तथ्य भलीभांति सिद्ध है अतः विद्यार्थी पक्ष एवं प्राचार्य पक्ष द्वारा प्रस्तुत उक्त साक्षीगण के कथन स्पष्ट ही अस्वाभाविक एवं कृत्रिम होकर स्वीकार योग्य नहीं. नगर पुलिस अधीक्षक श्री पंडित ने विद्यार्थियों की आपत्ति करने पर पुलिस वाहन को चिकित्सालय प्रांगण से बाहर भिजवा दिया था यह गम्भीरता पूर्वक विवादित तथ्य नही. उक्त निर्विवाद तथ्य ही इस स्थिति का द्योतक है कि पुलिस अधिकारी विद्यार्थियों को शान्त करने में अभिरूचित थे और उनका उद्देश्य अकारण ही किसी प्रतिवैर की भावना से प्रेरित होकर विद्यार्थियों के वर्ग के विरुद्ध लाठी चार्ज करना नहीं था. स्पष्ट ही पुलिस ने लाठी चार्ज तभी किया जब कि स्थिति नियंत्रण से परे हो गई और उक्त लाठी चार्ज भी केवल उक्त भीड़ को तितर-बितर करने के अभिप्राय से किया गया था जो

उत्तेजित होकर एक ओर डाक्टर कपूर की जान की ग्राहक बनी हुई थी और दूसरी ओर पुलिस पर पथराव करती थी.

(53) यह सही है कि विद्यार्थी वर्ग से व्यवहार करते समय पुलिस को अधिक संयम एवं बुद्धि मत्तापूर्ण ढंग से व्यवहार करना चाहिये क्योंकि समाज का उक्त वर्ग जहां एक ओर अपराधिक (Criminals) वर्ग नहीं वहीं दूसरी ओर अधिक संवेदनशील (Sensitive) है किन्तु उसका तात्पर्य यह नहीं कि यदि विद्यार्थी वर्ग स्वयं ही उत्तजित होकर अनउत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से आचरण करे तो पुलिस अधिकारियों को मात्र एक मूक दर्शक होकर हाथ पर हाथ रखे बैठे रहना चाहिये. पुलिस के प्रति विद्यार्थियों में जो विद्रोह की भावना पनप रही है उसका समुचित निराकरण समय रहते किया जाना आवश्यक है अन्यथा स्थिति वह रूप ले सकती है कि विद्यार्थी पुलिस को देखकर अपना मानसिक संतुलन उसी प्रकार खो बैठे जैसा कि एक अनियंत्रित सांड " metadore " के हाथों में लाल कपडे को देख कर खो देता है. पुलिस के विरुद्ध विद्यार्थियों की इस भडकने वाली "metadore " मनोवृत्ति की निराकरण एवं उनके मध्य पारस्परिक श्रेयस्तर उपबोध (Better understanding) तथा सामन्जस्य की भावना का उत्पन्न कराया जाना समाज के हित में नितान्त आवश्यक है ताकि जहां एक ओर पुलिस विद्यार्थी वर्ग को उदण्ड एवं समाज विरोधी व्यक्तियों का समूह मानकर आचरण न करे वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों के मन में पुलिस की छवि एक विधिपालक और स्वयं उनके हितों के संरक्षक दल के रूप में रहे.

(54) उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में वर्तमान प्रकरण में घटना की पृष्ठभूमि को दष्टिगत रखत. हुये आरक्षक दल द्वारा कोई विशेष बल प्रयोग अथवा लाठी चार्ज विद्यार्थियों के समूह के विरुद्ध नहीं किय गया वस्तुतः जो बल प्रयोग अथवा लाठी चार्ज पुलिस द्वारा किया भी गया है वह घटना की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये स्पष्ट ही अनिवार्य था और पुलिस को अत्याधिक अथवा अनावश्यक बल प्रयोग का दोषी किसी भी दृष्टिकोण से निर्णित नहीं किया जा सकता. विद्यार्थी वर्ग के सदस्यों को जो चोटें आई हैं वह स्वयं इतनी साधारण और सीमित संख्या के विद्यार्यों को आई हैं कि उक्त तथय ही इस बात का द्योतक है कि विद्यार्थी वर्ग के विरुद्ध कोई विशेष बल प्रयोग नहीं किया गया था. अन्यथा भी पुलिस द्वारा किया गया बल प्रयोग पूर्णतया आवश्यक निर्णीत होता है. डाक्टर कपूर दोषी हैं अथवा नहीं इसके निर्णय का भार असन्तुलित एवं उत्तेजित मस्तिष्क के विद्यार्थियों के समूह को नहीं सौपा जा सकता था और न ही उनके समूह को डाक्टर कपूर के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की स्वतंत्रता ही दी जा सकती थी. एक ओर विद्यार्थी डाक्टर कपूर के खून के प्यासे थे, दूसरी ओर विद्यार्थियों का समूह उत्तेजित था और उनकी संख्या शनैःशनै बढ़ रही थी और तीसरी और उनके द्वारा अधिकारियों के प्रति असहयोगपूर्ण दृष्टिकोण अपनाकर पथराव शुरू कर दिया गया था ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारियों हेतु उनको घटना स्थल से तितर बितर करने हेतु बल प्रयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प ही शेष नहीं था और पुलिस द्वारा किया गया बल प्रयोग किसी भी दृष्टिकोण से देखने पर अत्याधिक अथवा अनावश्यक निर्णित नहीं होता.

(55) उक्त विवेचन के प्रकाश में हम अपना यह प्रतिवेदन निम्न अभिमत के साथ समाप्त करते हैं:—

(एक) मौलाना आजाद प्राद्योगिक महाविद्यालय भोपाल के पांचवे वर्ष के विद्यार्थी श्री एम. के. सोंधिया की 27 फरवरी 73 को हुई मृत्यु का कारण पेन्सलीन के अन्तःक्षेपण (Injection) की परीक्षात्मक मात्रा (test dose) की घातक प्रतिक्रिया (reaction) थी.

(दो) उक्त प्रश्नगत मृत्यु किसी व्यक्ति विशेष की पूर्णतया या अंशतः उपेक्षा द्वारा कारित नहीं अतः कोई भी व्यक्ति उक्त विद्यार्थी की मृत्यु हेतु उत्तरदायी नहीं. पेन्सलीन का परीक्षात्मक अन्तःक्षेपण विद्यार्थी को लगने के पूर्व ही डाक्टर कपूर द्वारा औषधालय

छोड़कर चले जाना प्रकरण की विशेष परिस्थितियों में जैसा कि हमने अपने प्रतिवेदन के चरण क्रमांक 27 में दर्शाया है एक आपत्तिजनक आचरण रहा है जो यद्यपि नियमों के प्रतिकूल तो नहीं किन्तु चिकित्सक द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति उपेक्षा अथवा असावधानी का परिचायक अवश्य है.

(तीन) यह सिद्ध है कि पुलिस ने 27 फरवरी 73 की रात को मौलाना आजाद प्राद्योगिक महाविद्यालय भोपाल के विद्यार्थियों को 1250 क्वार्टर्स तात्या टोपे नगर, भोपाल स्थित शासकीय चिकित्सालय परिसरों में से तितर-बितर करने हेतु बल प्रयोग किया.

(चार) बल प्रयोग हेतु किसी दण्डाधिकारी द्वारा स्पष्ट आदेश दिया जाना सिद्ध नहीं किन्तु अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री त्रिवेदी द्वारा भीड़ तितर-बितर किये जाने का निर्देश आरक्षक दल को दिया जाना अवश्य सिद्ध है. उक्त आदेश घटना की पृष्ठभूमि में पूर्णतया न्यायोचित निर्णित होता है.

(पांच) आरक्षक बल द्वारा चिकित्सालय प्रांगण में एकत्रित विद्यार्थियों की भीड़ को तितर-बितर करने हेतु किया गया बल प्रयोग किसी भी दृष्टिकोण से अत्याधिक अथवा अनावश्यक निर्णित नहीं होता वरन् हमारा अभिमत रहा है कि उक्त बल प्रयोग घटना की पृष्ठभूमि में अपरिहार्य (Inevitable) था.

आयोग के अभिमत हेतु प्रस्तावित प्रश्नों पर तदानुसार हमारा निष्कर्ष प्रस्तुत है.

भोपाल:
दिनांक 30-9-1974.

सही :
(डी. बी. सूर्यवंशी)
सदस्य,
एक सदस्यी परिपृच्छा आयोग.